

# 52वीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008 52nd Annual Report 2007-2008



**दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**  
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

**The Fertilizer Corporation Of India Limited**  
(A Government of India Undertaking)



52वाँ वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008

52nd Annual Report 2007—2008

अनुक्रमाणिका  
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Offices, Registered Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	4
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	5
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	29
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	43 44
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	45
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	47
अनुसूची 1 से 28/Schedule 1 to 28	:	49
लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची - 29) Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Schedule-29)	:	82
तुलनपत्र का सारांश तथा कम्पनी की सामान्य व्यापार रूपरेखा Balance Sheet Abstract and Companies General	:	97
Business Profile	:	98
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	99



## निदेशक मंडल

श्री दीपक सिंघल, आई ए एस  
संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार (14.6.2006 से)

सुश्री सोफिया दहिया  
निदेशक, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार (21.3.2006 से)

श्री मनोज कुमार गुप्ता  
निदेशक (पी ई एण्ड वी), उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (31.1.2008 से)

श्री संजय कुमार सिन्हा  
उप सचिव (प्रशासन), उर्वरक विभाग,  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (31.1.2008 से)

श्री आर. एन. दास  
निदेशक, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
(16.1.2006 से 31.1.2008 तक)

डा. श्रीचन्द्रा  
संयुक्त सलाहकार (उर्वरक),  
उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,  
(31.10.2006 से 31.1.2008 तक)

## प्रमुख कार्यपालक

श्री जे. के. खन्ना, आईपीएस  
मुख्य सतर्कता अधिकारी (कृषको)  
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार (11.10.2007 से)

श्री अजय मंकोटिया, आई.आर.एस.  
मुख्य सतर्कता अधिकारी (एन एफ एल)  
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार  
(6.2.2007 से 30.9.2007 तक)

श्री पी. दास  
कार्यवाहक महाप्रबंधक

## विशेष कार्य अधिकारी

श्री के. एल. राव

## BOARD OF DIRECTORS :

**Shri Deepak Singhal, IAS**  
Joint Secretary, Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Chairman & Managing Director  
(w.e.f. 14.6.2006)

**Ms. Sofia Dahiya**  
Director, Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
Additional Charge of Director (Finance) (w.e.f. 21.3.2006)

**Shri Manoj Kumar Gupta**  
Director (PE & V), Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers, (w.e.f. 31.1.2008)

**Shri Sanjay Kumar Shina**  
Dy. Secretary (Admn.), Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers, (w.e.f. 31.1.2008)

**Shri R.N. Dash**  
Director, Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
(w.e.f. 16.1.2006 to 31.1.2008)

**Dr. Srichandra**  
Jt. Adviser (Fertilizer)  
Deptt. of Fertilizers,  
Ministry of Chemicals & Fertilizers,  
(w.e.f. 31.10.2006 to 31.1.2008)

## PRINCIPAL EXECUTIVES :

**Shri J.K. Khanna, IPS,**  
Chief Vigilance Officer (KRIBHCO)  
Additional Charge of Chief Vigilance Officer  
(w.e.f. 11.10.2007)

**Shri Ajay Mankotia, IRS,**  
Chief Vigilance Officer (NFL)  
Additional Charge of Chief Vigilance Officer  
(w.e.f. 6.2.2007 to 30.9.2007)

**Shri P. Das**  
Actg. General Manager

## OFFICER ON SPECIAL DUTY

**Shri K.L. Rao**

**मुख्य कार्यपालक - एकक**

**श्री एम.के. सिन्हा**

महाप्रबंधक, पीडीआईएल, सिन्दरी, एफ सी आई,  
सिन्दरी के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार

**श्री ए.एन. तिवारी**

कार्यवाहक महाप्रबंधक, गोरखपुर

**श्री के. रत्नकुमार**

कार्यवाहक महाप्रबंधक, रामागुण्डम

**श्री पी.के. पटनायक**

कार्यवाहक महाप्रबंधक, तलचर

**श्री कोशी अब्राहम**

प्रभारी, कोरबा

**एकक/कार्यालय**

सिन्दरी	-	झारखण्ड
गोरखपुर	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम	-	आन्ध्रप्रदेश
तलचर	-	उड़ीसा
कोरबा	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

**पंजीकृत कार्यालय**

7, इन्सटीट्यूशनल एरिया,  
स्कोप काम्प्लेक्स, कोर - III  
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

**लेखा परीक्षक**

मैसर्स एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी,  
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

**बैंकर्स**

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद  
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

**कानूनी सलाहकार**

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता  
मैसर्स अंजली के. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली  
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा  
मैसर्स दिवान एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली  
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली  
मैसर्स के.आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली  
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

**CHIEF EXECUTIVES - UNITS :**

**Shri M.K. Sinha, GM, PDIL, Sindri**  
Additional Charge of GM, FCI, Sindri

**Shri A.N. Tiwari**  
Actg. General Manager, Gorakhpur

**Shri K. Ratna Kumar**  
Actg. General Manager, Ramagundam

**Shri P.K.Patnaik**  
Actg. General Manager, Talcher

**Shri Koshy Abraham,**  
Incharge, Korba.

**UNITS/OFFICES :**

Sindri	-	Jharkhand
Gorakhpur	-	Uttar Pradesh
Ramagundam	-	Andhra Pradesh
Talcher	-	Orissa
Korba Division	-	Chhatisgarh
Central Office	-	NOIDA (U.P.)

**REGISTERED OFFICE :**

7, Institutional Area,  
SCOPE Complex, Core III,  
Lodi Road, New Delhi-110003

**AUDITORS :**

**M/s. H.K. Choudhry & Co.,**  
Chartered Accountants,  
New Delhi

**BANKERS:**

State Bank of Patiala  
State Bank of India  
State Bank of Hyderabad  
Union Bank of India

**LEGAL ADVISERS :**

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata  
M/s. Anjali K. Varma & Associates, Advocates, New Delhi  
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA  
M/s. Dewan & Co., Advocates, Delhi  
M/s. G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi  
M/s. K.R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi  
M/s. Saxena & Co., Advocates, Delhi

## सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 52वीं सामान्य बैठक बुधवार, 30 जुलाई, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे, कान्फ्रेन्स रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :

1. "31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना"
2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-

"भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित करना"

बोर्ड के आदेश से

ह०/-

(एस. के. सिन्हा)

निदेशक

दिनांक : जुलाई 4, 2008

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,

सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :

1. मैसर्स एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार, 1/9 बी, जिन्दल हाउस,  
आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

## NOTICE

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Wednesday, the 30th July, 2008 at 4.00 P.M. at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business :-

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2008".
2. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

"Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2008-2009 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board

Sd/-

(S.K. Sinha)

Director

Dated : July 4, 2008

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To,

All Shareholders

Copy to : -

1. M/s. H.K. Chaudhry & Co.,  
Chartered Accountants, 1/9B, Jindal House,  
Asaf Ali Road, New Delhi-110002.
2. Chairman, Audit Committee.

## निदेशकों की रिपोर्ट

**1.0** आपके निदेशक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 52वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

### 2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2006-2007 के 1432.59 करोड़ रुपयों की तुलना में वर्ष 2007-2008 में 1504.83 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई। हानि की यह राशि 1506.06 करोड़ रुपये के ब्याज (गत वर्ष 1403.66 करोड़ रुपये) जिसमें भारत सरकार के ऋणों पर 1025.62 करोड़ रुपये के जुर्माना ब्याज (गत वर्ष 926.34 करोड़ रुपये) तथा 0.29 करोड़ रुपये के मूल्यहास (गत वर्ष 0.30 करोड़ रुपये) के प्रावधान के बाद आयी है।

वित्तीय परिणाम नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	प्रचालन लाभ/हानि		मूल्यहास ब्याज		निवल लाभ / हानि		पूर्व अवधि समायोजन के बाद निवल हानि
	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	
2007-08	(+)	1.52	0.29	1506.06	(-)	1504.34	(-) 1504.83
2006-07	(-)	18.67	0.30	1403.66	(-)	1402.63	(-) 1432.59

### 3.0 वित्तीय स्रोत

#### 3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 750.92 करोड़ रुपये रह गई है।

#### 3.2 ऋण

वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार ने योजना/गैर योजना खर्चा प्रदान नहीं किया है।

## DIRECTORS' REPORT

**1.0** Your Directors hereby present their 52nd Annual Report of the Corporation together with the audited accounts and the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2008.

### 2.0 FINANCIAL RESULTS

The Corporation incurred a net loss of Rs.1504.83 crore in 2007-2008 as against Rs.1432.59 crore during 2006-2007. The loss has been arrived at after charging interest of Rs. 1506.06 crore (previous year Rs.1403.66 crore) including penal interest on Government of India loans of Rs.1025.62 crore (previous year Rs.926.34 crore) and after providing for depreciation of Rs.0.29 crore (previous year Rs.0.30 crore).

The financial results are given below :

Year	Operating Profit/Loss		Depre- ciation	Inte- rest	Net Profit/Loss		Net loss after prior period adjustment
	(+)	(-)			(+)	(-)	
2007-08	(+)	1.52	0.29	1506.06	(-)	1504.34	(-) 1504.83
2006-07	(-)	18.67	0.30	1403.66	(-)	1402.63	(-) 1432.59

### 3.0 FINANCIAL RESOURCES

#### 3.1 Share Capital

The subscribed capital and paid up capital remains Rs. 750.92 crore.

#### 3.2 Loan

During the year Government of India has not paid any loan for plan/non-plan expenditure to the Corporation.

वर्ष के अन्त तक ऋण एवं देय ब्याज की स्थिति इस प्रकार थी :

	(रुपये करोड़ में)	
	2008	2007
<b>भारत सरकार से</b>		
योजना ऋण	385.78	385.78
गैर-योजना ऋण	2353.50	2353.50
ओवर ड्यू ब्याज	12231.01	10724.88
योग (क)	14970.29	13464.16
<b>सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं से</b>		
ऋण	5.00	5.00
पुराना खड़ा ब्याज* (31.3.2000 तक)	52.85	52.85
योग (ख)	57.85	57.85
कुल योग (क + ख)	15028.14	13522.01

\* भारी वित्तीय संकट के कारण ऋणों पर ब्याज का और प्रावधान नहीं किया गया।

#### 4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान विक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क, के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 4.21 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

#### 5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को बन्द करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ।

#### 6.0 एककों की स्थिति

एककों का कार्यकलाप सुरक्षा प्रबंध तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है।

The loan and interest payable position up to the year-end was as follows:

	(Rs./Crore)	
	2008	2007
<b>From Government of India</b>		
Plan loan	385.78	385.78
Non-plan loan	2353.50	2353.50
Overdue interest	12231.01	10724.88
Total (a)	14970.29	13464.16
<b>From Public Sector Undertakings/ Financial Institutions</b>		
Loan	5.00	5.00
Overdue interest* (Up to 31.3.2000)	52.85	52.85
Total (b)	57.85	57.85
Grand Total (a + b)	15028.14	13522.01

\*No further interest is provided on loans in view of severe financial constraints.

#### 4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Corporation made a contribution of Rs.4.21 crore by way of sales tax, excise duty, income tax, customs duty, electricity duty to the central and state exchequers during the year.

#### 5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants.

#### 6.0 PLANT STATUS

Activities at plants are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees.

## 7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण कोई विपणन गतिविधियाँ नहीं हैं। दिल्ली से बाहर के सभी विपणन कार्यालय बन्द कर दिये गये हैं।

## 8.0 बी.आई.एफ.आर. संदर्भ

8.1 जब बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.11.2001 के निगम को बन्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए कम्पनी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष थी तभी उर्वरक विभाग ने अपने दिनांक 30.7.2002 तथा 10.9.2002 के सन्देश में निगम की सभी उर्वरक इकाइयों को बन्द करने तथा स्वेच्छिक प्रथककरण योजना (वी.एस.एस.) के अंतर्गत निगम के सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय को सूचित किया।

8.2 सरकार के सभी उर्वरक इकाइयों को बन्द करने के आदेशानुरूप वर्ष 2002-03 में वी.एस.एस. के अंतर्गत 5240 कर्मचारी, 2003-04 में 273 कर्मचारी, 2004-05 में 7 कर्मचारी, 2005-06 में 4 कर्मचारी, 2006-07 में 5 कर्मचारी और 2007-08 में 4 कर्मचारी सेवामुक्त किये गये थे। अब 52 वी.एस.एस. की माँग कर चुके कर्मचारी रखे हुए हैं। ये निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली एवं सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिये रखे गये हैं।

8.3 बी. आई. एफ. आर. ने अपने 17.5.2004 की सिफारिशों में जे.एम.ओ. के 1.4.2003 से अविलयन की मंजूरी को सूचित किया है जो कि पहले से ही प्रभावशील है। बी आई एफ आर ने 17.5.2004 के आदेश में सभी उर्वरक इकाइयों को बन्द करने की सिफारिश करने के साथ ही

(क) बेंच ने अधिनियम की धारा 20(4) के अंतर्गत एक परिसम्पत्ति बिक्री समिति के द्वारा एफ सी आई एल की बन्द इकाइयों की परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुमति दी है।

## 7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Corporation and there being no production during the year, there is no marketing activity. All the marketing offices outside Delhi have been closed.

## 8.0 BIFR REFERENCE

8.1 While the Company was before the Hon'ble Delhi High Court, challenging the orders dated 2.11.2001 of BIFR for winding up of the Corporation, the Department of Fertilizers vide their communications dated 30.7.2002 and 10.9.2002 conveyed the decision of GOI for closure of all fertilizer units of the Corporation and release of all the employees on VSS.

8.2 Pursuant to the Government's orders for closure of all the fertilizer units, 5240 numbers of employees were released on VSS in the year 2002-03, 273 persons during the year 2003-04, 7 persons during 2004-05, 4 persons during 2005-06, 5 persons during 2006-07 and 4 persons during 2007-08. At present 52 VSS optee employees are retained. They are on the rolls of the Corporation to look after the safety and security of the properties of the Corporation and discharge the statutory obligations of the Company.

8.3 The Hon'ble BIFR vide their recommendations dated 17.5.2004 conveyed the sanction of the de-merger of J.M.O. w.e.f. 1.4.2003 which has already been given effect. The BIFR vide orders dated 17.5.2004 apart from recommending winding up of all Fertilizer Units—

(a) The Bench allowed the sale of the assets of the unviable units of the FCI under Section 20(4) of the Act through an Assets Sale Committee.

- (ख) परिसम्पत्ति बिक्री समिति जो कि एफ सी आई एल की बंद इकाइयों की परिसंपत्तियों की बिक्री का निर्णय करेगी, का गठन भारत सरकार द्वारा होगा जिसमें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव स्तर का नामित, कम्पनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित, पी एन बी तथा एस बी आई (ओ ए) का प्रतिनिधि जो डी जी एम स्तर से कम का न हो और यदि भूमि बिक्री का विषय हो तब संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि सम्मिलित होगा। नामितों की नियुक्ति सुनवाई की तिथि के एक महीने के अंदर की जायेगी और ए एस सी, सुनवाई की तिथि के एक महीने के अंत में इस प्रकार के नामितों की प्रतीक्षा किये बिना कार्य करना प्रारम्भ कर देगी।
- (ग) भारत सरकार और कम्पनी, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये सुरक्षकों की नियुक्ति और बीमा आदि का उचित प्रबंध करेगी। इसका खर्चा बिक्री से प्राप्त धन से वहन किया जायेगा।
- (घ) आणविक उर्जा विभाग को आदेश दिया गया था कि वह अपनी प्रार्थना संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों एवं एफ सी आई और ओ ए के संबंध में दें और मामले में सौहार्दपूर्ण समझौता करें। यदि समझौता नहीं होता तब मामला भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों के विचारों सहित बी आई एफ आर को सौंप दिया जाये ताकि इस संबंध में बोर्ड अंतिम निदेश जारी कर सके। तब तक डी ए ई द्वारा अपनी प्रार्थना में इंगित परिसम्पत्तियों की बिक्री न की जाये।
- (ङ) संबंधित सरकारी परिसमापक (आफिसियल लिक्विडेटर) की अनुमति प्राप्त करके सिन्दरी और गोरखपुर इकाइयों के कर्मचारियों की देय राशि का भुगतान परिसम्पत्तियों की निवल बिक्री में से किया जाये।
- (b) An Assets Sale Committee (ASC) to decide on the sale of assets of unviable units of FCIL shall be constituted by the Government of India, with one nominee of the rank of Joint Secretary/Additional Secretary from the MCF, CMD of the company or his nominee, representatives of PNB and SBI (OA) not below the rank of DGM and a representative of the concerned State Governments if land sale is involved. The nominees would be appointed within one month of the hearing date and ASC would start functioning at the end of one month from the hearing date, without waiting for such nominations.
- (c) The GOI and the company shall make proper arrangements for the safeguard of the assets of the company by appointing security and insurance, etc. The expenses incurred thereon shall be met out of the sale proceeds.
- (d) The Department of Atomic Energy (DAE) was directed to serve a copy of their application upon the concerned Central and State Government departments and the F.C.I and OA and reach an amicable settlement in the matter. In case differences persist, the matter may be referred by the GOI to the BIFR along with the opinions of the concerned departments/organizations, so as to enable the Board to issue final directions in the matter. Meanwhile, the assets covered by the DAE's application in question shall not be put to sale.
- (e) The admissible dues of the workers of Sindri and Gorakhpur units should be cleared from the net sale proceeds of the assets after obtaining the orders of the concerned Official Liquidator.

ए. एस. सी. कमेटी का गठन हो रहा है।

बी. आई. एफ. आर. ने अपने दिनांक 17.5.2004 की सिफरिशों को रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय को 27.5.2004 को भेज दिया है। इसे उच्च न्यायालय में सी पी : 183/2004 में दर्ज किया गया है। माननीय कम्पनी न्यायधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले को 19.7.2004, 4.10.2004, 17.1.2005 और 12.7.2005 को सुना और अगली सुनवाई की तिथि 22.2.2006 और 16.5.2006 अनुसूचित किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 4.5.2006 की सुनवाई में चेताया कि यदि अगली सुनवाई में कोई ठोस प्रस्ताव/योजना प्राप्त नहीं हुई तब उचित आदेश दे दिये जायेंगे और इस संबंध में कोई स्थगन मंजूर नहीं किया जायेगा। इसी आधार पर बोर्ड ने मंत्रालय को कम्पनी के पुनर्स्थापन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें भारत सरकार का ऋण और उस पर ब्याज को माफ करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अगली सुनवाई 11.8.2006 तक के लिये स्थगित की गयी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 31.10.2006 के आदेश के अन्तर्गत कम्पनी ने सभी असुरक्षित लेनदारों को जिनका 1 लाख रुपये तक का बकाया है के निपटारे के लिये शासकीय परिसमापक के पास 5 करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं। असुरक्षित लेनदार जिनका 1 लाख रुपये से अधिक का दावा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त और जो वस्तुएँ कम्पनी के पुनरुज्जीवन के लिये आवश्यक नहीं हैं, की बिक्री के लिये एक सम्पत्ति बिक्री समिति का गठन किया है ताकि धन एकत्रित किया जा सके। कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष असुरक्षित लेनदारों को उनके बकाया का 30% के निपटान को स्वीकार किया है। मामला 7.2.2007 और फिर 14.5.2007 तक के लिये स्थगित किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम्पनी को (केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनरुज्जीवन के लिये स्वीकृत बदली हुई परिस्थिति को देखते हुये) निदेशित किया था कि बी आई एफ आर द्वारा बन्द करने के पुनरावलोकन आदेश को प्रस्तुत करे। इस संबंध में कम्पनी बी आई एफ आर के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

The constitution of ASC Committee is in process.

The BIFR has forwarded its recommendations dated 17.05.2004 to the Registrar, Hon'ble High Court of Delhi on 27.05.2004. The same have been registered as CP: 183 of 2004 in the High Court. The matter has been heard by Hon'ble Company Judge, Delhi High Court on 19.07.2004, 04.10.2004, 17.01.2005 and 12.07.2005 on which date the matter has been adjourned to 22.02.2006 and 04.05.2006. Hon'ble High Court in the hearing held on 4.5.2006 held that in case no concrete proposal/scheme is received by next date of hearing, appropriate order will be passed and no further adjournment will be granted in the matter. Based on this, Board has submitted the proposal to the Ministry for restructuring of the Company which includes the proposal for waiver of GOI loan and interest thereon. The matter has been adjourned to 11.08.2006. In pursuance to the orders of Hon'ble High Court of Delhi on 31.10.06, the Company has deposited Rs. 5.00 crores with the Official Liquidator for settling the dues of the Unsecured Creditors having claims of up to Rs.1.00 lakh. For unsecured creditors having claims of more than Rs. 1.00 lakh, the Hon'ble High Court of Delhi has constituted an Asset Sale Committee to sell surplus and items not required for revival of the Company, to raise funds. The Company has submitted before Hon'ble High Court of Delhi to settle the unsecured creditors at 30 % of their dues. The matter was adjourned to 7.2.2007 and further on 14.5.2007, the Delhi High Court has directed the Company (on the changed scenario of proposed revival as approved by Union Cabinet) to get the orders of BIFR for winding up reviewed. The Company is in the process of filing application before BIFR for the same.

### 9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2007-08 में इसकी गतिविधियां तथा उपलब्धियां

सतर्कता को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग समझा जाता है। श्री जे. के. खन्ना, आई पी एस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कृभको ने अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया हुआ है तथा नोएडा में बैठते हैं। वे समाज के सतर्कता कार्यों पर निदेशन, सुझाव तथा पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। नोएडा कार्यालय तथा एककों में सहायक स्टाफ नियुक्त किया गया है।

समाज ने सतर्कता जागरूकता को मुख्य विषयवस्तु के रूप में अपना लिया है। अब समाज के कार्य करने के तरीके को पारदर्शी एवं जवाबदेय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सभी एककों के कार्यालयों में सतर्कता नोटिस बोर्ड लगाये गये हैं जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा मुख्य सतर्कता आयोग का पता व दूरभाष संख्या दर्शाया गया है जिनको भ्रष्टाचार के शिकायत के लिये सम्पर्क किया जा सकता है।

मान्य सूची तथा संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की वर्ष 2008 की सूची समय पर तैयार कर ली गयी थी। वित्त-वर्ष 2007-08 में आकस्मिक एवं नियमित निरीक्षण किये गये। निरीक्षणों के निष्कर्ष के आधार पर प्रबंधन को उपचारी कार्यवाही करने के लिये आवश्यक सुझाव दिये गये हैं।

कर्मचारियों तथा जन-सामान्य को विवेकवान बनाने के लिये एफ.सी.आई.एल. द्वारा 12 से 16 नवम्बर, 2007 तक भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

### 10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कम्पनी के बन्द हो जाने के कारण ये गतिविधियाँ सीमित हो गई हैं।

### 9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2007-2008

Vigilance is considered to be an integral part of the Management function. Shri J.K. Khanna, IPS, Chief Vigilance Officer, KRIBHCO is in additional charge and he sits at NOIDA. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the Society. Supporting staff has been posted in NOIDA office and one of the Units.

The Society has adopted preventive vigilance as the main theme. The stress is on transparency and accountability in the working of the Society. Vigilance Notice Boards have been installed in all the offices of the Units displaying the address and telephone numbers of the Chairman & Managing Director, Chief Vigilance Officer and Central Vigilance Commission, who can be approached for complaints of corruption.

Agreed List and list of Officers of doubtful integrity for the year 2008 were prepared in time. Surprise and regular inspections were carried out during the financial year 2007-08. On the basis of findings of inspections, important suggestions were given to the Management for remedial action.

To sensitize the employees and the public about the evil consequences of corruption, Vigilance Awareness Week was observed by FCIL from 12 - 16 November, 2007.

### 10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

Annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi are complied with by the Corporation. However due to closure of the company, these activities are kept limited.

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन</b></p> <p>11.1 31.3.2008 को स्टाफ की संख्या 52 है। ये निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं का निपटान करने के लिये सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सीमित स्तर तक हुआ।</p> <p><b>12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन</b></p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्तियाँ नहीं की गयी।</p> <p><b>13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम</b></p> <p>भारत सरकार के निगम को बन्द करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा।</p> <p><b>14.0 लेखा परीक्षक तथा उनकी रिपोर्ट</b></p> <p>निगम के लेखों की सूक्ष्म जांच तथा लेखा परीक्षा मैसर्स एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली द्वारा की गई।</p> <p><b>15.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरणिका</b></p> <p>15.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :</p> <p>31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का प्रयोग किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।</p> | <p><b>11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.</b></p> <p>The staff strength as on 31.3.2008 is 52 retained. They are on the rolls for looking after the safety and security of the properties of the Corporation and to discharge statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited extent for disposal of hazardous and inflammable materials.</p> <p><b>12.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS</b></p> <p>Government's directives with regard to reservation of posts for SCs/STs/Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.</p> <p><b>13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.</b></p> <p>In view of Government's decision for closure of the Corporation, there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earnings were nil during the year.</p> <p><b>14.0 AUDITORS AND THEIR REPORT</b></p> <p>The accounts of the Corporation were scrutinized and audited by M/s H.K. Chaudhry &amp; Company, Chartered Accountants, New Delhi.</p> <p><b>15.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT</b></p> <p>15.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed :</p> <p>That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2008, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.</p> |
|---|---|

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरन्तर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कम्पनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिये तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा किसी भी अनियमितता एवं छल कपट को पकड़ने तथा बचाव के लिए पूरी एवं समुचित सावधानी बरती है।

निदेशकों ने 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखा “चालू कम्पनी नहीं” के रूप में तैयार किये हैं।

#### 15.2 निदेशक मंडल :

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. श्री दीपक सिंघल,<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | - 14.6.2006 से<br>अब तक         |
| 2. श्री आर. एन. दास,<br>निदेशक                   | - 16.1.2006 से<br>31.1.2008 तक  |
| 3. सुश्री सोफिया दहिया,<br>निदेशक (वित्त)        | - 21.3.2006 से<br>अब तक         |
| 4. श्री मनोज कुमार गुप्ता,<br>निदेशक             | - 31.1.2008 से<br>अब तक         |
| 5. डा. श्रीचंद्रा,<br>संयुक्त सलाहकार (उर्वरक)   | - 31.10.2006 से<br>31.1.2008 तक |
| 6. श्री संजय कुमार सिन्हा,<br>निदेशक             | - 31.1.2008 से<br>अब तक         |

15.3 वर्ष के दौरान 5 निदेशक मंडल की तथा 2 लेखा परीक्षा समिति की बैठकें हुईं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the Directors have prepared the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2008 on not “going concern” basis.

#### 15.2 Board of Directors

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Shri Deepak Singhal,<br>C&MD             | From 14-06-2006<br>till date     |
| 2. Shri R.N. Dash,<br>Director              | From 16-01-2006<br>to 31-01-2008 |
| 3. Ms. Sofia Dahiya,<br>Director (Finance)  | From 21-03-2006<br>till date     |
| 4. Shri Manoj Kumar Gupta,<br>Director      | From 31-01-2008<br>till date     |
| 5. Dr. Srichandra,<br>Joint Adviser (Ferts) | From 31.10.2006<br>to 31-01-2008 |
| 6. Shri Sanjay Kumar Sinha,<br>Director     | From 31-01-2008<br>till date     |

15.3 There were 5 meetings of Board of Directors and 2 meetings of Audit Committee during the year. The details of meetings that Directors

लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नाम	निदेशक मंडल की बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1. श्री दीपक सिंघल	5	-
2. सुश्री सोफिया दहिया	5	2
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता	1	-
4. श्री संजय कुमार सिन्हा	1	-
5. श्री आर. एन. दास	3	2
6. डा. श्रीचंद्रा	4	2

15.4 कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार 31 मार्च, 2008 के तुलन पत्र के सारांश तथा कम्पनी की सामान्य रूप रेखा के बारे में सूचना लेखों के साथ संलग्न है।

#### 16.0 लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियन्त्रण हेतु एक नयी धारा 292 क "लेखा परीक्षा समिति" जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी. आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियन्त्रण हेतु निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति को परिचालन के द्वारा पुनर्गठित किया जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री मनोज कुमार गुप्ता, निदेशक - अध्यक्ष
2. सुश्री सोफिया दहिया, निदेशक (वित्त) - सदस्य
3. श्री संजय कुमार सिन्हा, निदेशक - सदस्य

#### 17.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं के लिये उनकी सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत

attended are given below :

NAME	BOARD MEET- INGS	AUDIT COMMITTEE MEETINGS
1. Shri Deepak Singhal	5	-
2. Ms. Sofia Dahiya	5	2
3. Shri Manoj Kumar Gupta	1	-
4. Shri Sanjay Kumar Sinha	1	-
5. Shri R.N. Dash	3	2
6. Dr. Srichandra	4	2

15.4 The information pursuant to Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956 regarding Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile as at 31st March, 2008 is annexed with the accounts.

#### 16.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 1956, a new section 292A i.e. "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been reconstituted by the Board by circulation comprising of the following Directors:

- (1) Shri M.K. Gupta, Director - Chairman
- (2) Ms. Sofia Dahiya, Director - Member (Finance)
- (3) Shri Sanjay Kumar Sinha, Director - Member

#### 17.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors' place on record their appreciation of the services of the employees during the year.

सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा बैंक समूहों का उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26.6.2008

(सोफिया दहिया)  
निदेशक (वित्त)

Place : New Delhi  
Dated : 26.6.2008

For and on behalf of the  
Board of Directors

Sd/-  
(Sofia Dahiya)  
Director (Finance)

## निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

### ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (संदर्भ सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 26.6.2008 की रिपोर्ट) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report dated 26.6.2008) and Explanations of the Company.

#### ए.क्यू.सं. टिप्पणियाँ

#### A.Q.No. Comments on

- 3.2 जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 ए में अपेक्षित है, निगम में 2 जुलाई, 2003 के बाद, जोकि कम्पनी सचिव के निधन की तीथि है, निगम में कम्पनी सचिव नहीं था।
- 3.2 The Corporation did not have a Company Secretary after 2<sup>nd</sup> July, 2003, that is the date of death of the Corporation's Company Secretary, as required in terms of Section 383A of the Companies Act, 1956.

#### कम्पनी के स्पष्टीकरण

#### Replies of the Company

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 ए नियत करता है कि “यह निश्चित करना होगा कि उपधारा (1) के पालन का उचित प्रयत्न किया जा रहा है या कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि वह पूर्ण कालीन सचिव रखने में सक्षम नहीं है।”

The provisions under Section 383-A of the Companies Act, 1956 provides that “it shall be a defence to prove that all reasonable efforts to comply with the provisions of Sub-Section (1) were taken or that the financial position of the Company were such that it was beyond its capacity to engage a whole-time Secretary. “

31.3.2008 को समाप्त वर्ष के लेखे यह बताते हैं कि कम्पनी को 1504.83 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 31.3.2008 को संचित हानि 15679.18 करोड़ रुपये है। कम्पनी को भारी नकद हानि हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह साफ है कि यह कम्पनी की हैसियत के बाहर है कि पूर्ण कालीन कम्पनी सचिव की नियुक्ति की जाये। कम्पनी ने वर्ष 2002 में अपने सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक प्रथककरण योजना प्रस्तावित किया है। स्वैच्छिक प्रथककरण योजना मंजूर करने के लिये भारत सरकार के ज्ञापन परोक्ष रूप से नयी भर्तियों पर प्रतिबंध को अधिरोपित करता है। इन कम्पनी सचिव की मृत्यु स्वैच्छिक प्रथककरण योजना लागू होने के बाद हुई थी। नई भर्ती में बाधा के कारण और कम्पनी की वित्तीय स्थिति पूर्ण कालीन कंपनी सचिव रखना उसकी क्षमता से बाहर होने के कारण कम्पनी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है।

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां  
A.Q.No. Comments on

कम्पनी के स्पष्टीकरण  
Replies of the Company

Perusal of the accounts for the year ending 31.3.2008 would show that the Company has incurred a loss of Rs.1504.83 crore. The accumulated losses as on 31.3.2008 stand at Rs.15679.18 crore. The Company has incurred heavy cash losses. In the circumstances, it is quite clear that it is beyond the capacity of the Company to employ a whole time Company Secretary. Further, VSS has been offered by the Company to all its employees in the year 2002. The Gol circular for granting of VSS for employees indirectly imposes a ban on the Company for making any fresh recruitments. The existing Company Secretary of the Company had expired after the commencement of VSS. Keeping in view the impediments in fresh recruitments and as the financial position of the Company was beyond its capacity to engage a whole-time Company Secretary, no Company Secretary could be appointed.

- 3.3 निम्नलिखित के लिये प्रावधान नहीं किया गया है:-  
3.3 No provision has been made for the following:
- 3.3.1 कोरबा परियोजना के लिये सीमा-शुल्क प्राधिकरण की 580 लाख रुपये की माँग के लिये जिसके लिये कुर्की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.1)
- 3.3.1 The additional custom duty demand of Rs.580 lakh by Customs authorities in respect of Korba Division for which attachment proceedings have been initiated (Note No. 5.1).
- 3.3.2 31 मार्च, 1991 तक भारत सरकार के ऋणों पर देय 13753.35 लाख रुपये के जुर्माना ब्याज का (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.2)
- 3.3.2 Penal interest amounting to Rs.13753.35 lakh payable on Government of India loan up to 31st March, 1991 (Note No. 5.2).

वित्त मंत्रालय ने माँग स्थगित रखने का निर्णय लिया है, अतः प्रावधान नहीं किया गया था। (टिप्पणी सं. 5.1)

Ministry of Finance had decided to keep the demand in abeyance. Hence, no provision was made (Note No. 5.1).

इसे लेखों पर टिप्पणी में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 5.2)

This has been disclosed in the Notes to Accounts (Note No. 5.2)

**ए.क्यू.सं. टिप्पणियां**

**A.Q.No. Comments on**

- 3.3.3 वर्ष के लिये सी.डब्ल्यू.सी. के ऋण पर ब्याज के 207.59 लाख रुपये (31 मार्च, 2008 तक संचित 1394.75 लाख रुपये) और एल.आई.सी. से लिये गये ऋण पर 31 मार्च, 2006 तक संचित ब्याज के 10550.03 लाख रुपये। (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.3)
- 3.3.3 Interest for the year Rs.207.59 lakh on CWC loan (accumulated up to 31st March 2008 Rs.1394.75 lakh) and accumulated interest on loan taken from LIC Rs. 10550.03 lakh up to 31st March, 2006 (Refer Note No. 5. 3).
- 3.3.4 तेल की आपूर्ति से संबंधित इण्डियन आयल कार्पोरेशन को देरी से किये गये भुगतानों के देय ब्याज के 400.53 लाख रुपये की राशि (31 मार्च, 2008 को संचित 3278.25 लाख रुपये) (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.7)
- 3.3.4 Interest amounting to Rs.400.53 lakh (accumulated upto 31 st March 2008 Rs. 3278.25 lakh) payable to Indian Oil Corporation Limited for delayed payments towards supply of oil. (Refer Note No.5. 7)
- 3.3.5 स्थायी परिसम्पत्ति को किराये पर देने पर 5.09 लाख रुपये की सेवा कर देयता। (संदर्भ टिप्पणी सं. 7.8)
- 3.3.5 Service tax liability of Rs. 5.09 lakh on renting of immovable property (Refer Note No. 7.8)
- 3.4 हम यह अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं कि संबद्ध राशि का कार्यकलापों/वर्ष के लिये हानि पर निम्न के मामलों में किस सीमा तक एवं कितना प्रभाव पड़ेगा:
- 3.4 We are unable to express the extent and impact on state of affairs / loss for the year in view of the amounts involved therein in respect of:

**कम्पनी के स्पष्टीकरण**

**Replies of the Company**

- इसे लेखों पर टिप्पणी में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 5.3)
- This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No. 5.3)
- इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 5.7)
- This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No.5. 7)
- इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 7.8)
- This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No.7. 8)

ए.क्यू.सं. टिप्पणियां

A.Q.No. Comments on

- 3.4.1 पूर्व वर्षों से संबंधित देनदारों के अनिर्धारित ब्याज/क्षति के असमायोजित मामले तथा उपार्जित एवं देय मूलधन एवं ब्याज के असमायोजित/असमाशोधित मामले तथा भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से लिए गये ऋणों पर उपार्जित और देय तथा उपार्जित एवं देय नहीं ब्याज तथा अन्य व्यक्तिगत लेखों के संबंध में अधिशेष जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। (संदर्भ टिप्पणी सं. 7.3)
- 3.4.1 Unascertained interest / damages on account of creditors lying unadjusted / un-reconciled since earlier years and non-confirmation and non-reconciliation of principal and interest accrued and due, as well as accrued but not due on loans obtained from Government of India, Life Insurance Corporation of India and Central Warehousing Corporation Limited and in respect of unconfirmed balances in other personal accounts (Refer Note No. 7.3).
- 3.4.2 उन सम्पत्तियों जिन्हें सक्रिय प्रयोग से हटाकर सेवा मुक्त कर निपटान हेतु रख दिया गया है, के निपटान से होने वाली हानि, यदि कोई हो तो। (संदर्भ टिप्पणी सं. 7.4)
- 3.4.2 Loss, if any, that may arise on disposal of assets retired from active use and held for disposal (Refer Note No. 7.4)
- 3.4.3 वस्तुसूचियों के निपटान से होने वाली हानि, यदि कोई हो तो। (संदर्भ टिप्पणी सं. 7.5)
- 3.4.3 Loss, if any, that may arise from disposal of inventory (Refer Note No. 7.5).
- 3.4.4 कोरबा की 900 एकड़ भूमि (मूल्य ज्ञात नहीं) जो कि राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है। (संदर्भ टिप्पणी सं. 4.3)

कम्पनी के स्पष्टीकरण

Replies of the Company

इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 7.3)

This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No. 7.3).

इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 7.4)

This has been disclosed in the Notes to Accounts (Note No. 7.4).

इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 7.5)

This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No. 7.5)

इसे लेखों पर टिप्पणियों में दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 4.3)

---

**ए.क्यू.सं. टिप्पणियां**

**A.Q.No. Comments on**

---

- 3.4.4 Non-accounting of 900 acres of land at Korba (value not ascertained) received free of cost from State Govt. (Refer Note No. 4.3)
- 3.4.5 माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देय पर व्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज यदि कोई हो तो। (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.10)
- 3.4.5 Non Disclosure of particulars and non accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. (Refer Note No. 5.10)

---

**कम्पनी के स्पष्टीकरण**

**Replies of the Company**

---

This has been disclosed in Notes to Accounts (Note No. 4.3).

इसे लेखों पर टिप्पणी में पर्याप्त रूप से दर्शा दिया गया है। (टिप्पणी सं. 5.10)

This has been adequately disclosed in Notes to Accounts (Note No. 5.10).

**31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दर्शाये गये पैराग्राफ-1 का अनुलग्नक  
ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF THE AUDITORS' REPORT ON  
ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008**

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

1.(क) केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़कर जहाँ कुछ मदों के लिये ब्यौरे अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थाओं को नहीं दिखाया गया, निगम ने निपटान के सही रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है। हमें बताया गया है कि विसंगतियों (पिछले वर्ष की विसंगतियों सहित) का समाधान किया जा रहा है, अतः बहियों में उनका समायोजन नहीं किया गया है। कुछ एककों/प्रभाग में स्थायी परिसम्पत्तियों का रिकार्ड समय-समय पर पूरा नहीं किया गया है।

1.(a) The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/division where for some items particulars, location and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/division fixed assets records are not updated.

(ख) चालू वर्ष के दौरान अप्रचालित और निपटान के लिये रखी गई परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि वर्ष में प्लान्ट व मशीनरी को छोड़कर, स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन केवल तलचर एकक में बाहरी वृत्तिक प्रतिष्ठान से कराया गया है। जहाँ भी विसंगति पायी गयी है, कमियों का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान अन्य एककों में भौतिक सत्यापन के अभाव में विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, पर और उसका लेखों पर व्यवहार पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

साधारणतः निपटान के लिये रखी गयी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का रिकार्ड एककों में रखा गया है। फिर भी, जहाँ विवरण, स्थान, मात्रात्मक ब्यौरा नहीं दिया गया है उसे जोड़ा/परिवर्तित/नियमित किया जायेगा।

Generally, the records for fixed assets including retired assets held for disposal are maintained in the units. However, wherever some particulars, location and quantitative details have not been mentioned, it will be added / modified / updated.

स्थायी परिसम्पत्तियों के सत्यापन का कार्य प्रगति में है केवल तलचर एकक को छोड़ कर जहाँ सत्यापन का कार्य इसी कार्य के लिये नियुक्त बाहरी वृत्तिक प्रतिष्ठान द्वारा पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट मिलने पर पाई गई विसंगतियों को लेखों में उचित परिवर्तन किया जायेगा। तलचर एकक के लिये परिसम्पत्तियों में कमी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि एकक के लेखों में “कमियों एवं अप्रचलन” के लिये पहले ही पाई गई कमी से बहुत अधिक का प्रावधान किया गया है।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

(b) The physical verification of fixed assets, including assets retired from active use and held for disposal, has not been carried out during the year. However it has been informed to us that physical verification of fixed assets other than plant & machinery was carried out by outside professional firms during the year for Talcher Unit only and for other units it is in progress. Wherever the discrepancies have been found provision for shortage was made. In the absence of any physical verification during the year for other units, we are unable to comment on discrepancies, if any, and its treatment in the accounts.

(ग) भारत सरकार के बंद करने के आदेश के कारण चालू कम्पनी की कल्पना को प्रभावित किया गया है। फिर भी चालू वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है। यद्यपि अधिकतर स्थायी परिसम्पत्तियाँ सक्रिय प्रयोग से हटा दी गई हैं और निपटान के लिए हैं।

(c) In view of the closure order issued by the Govt. of India, the going concern assumption has been affected. However, the Corporation has not disposed off substantial part of fixed assets during the year though major part of the fixed assets have been retired from active use and are held for disposal.

2.(क) हमें बताया गया है कि प्रबंधन ने चालू वर्ष के दौरान  
+(ख) केवल तलचर एकक की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। प्रबंधन द्वारा तलचर एकक के लिये अपनायी गई भौतिक सत्यापन की विधि सही एवं पर्याप्त है। वर्ष के दौरान अन्य एककों में वस्तु-सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाये गये कार्यविधि पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

Physical verification of fixed assets for the year is in progress, except in Talcher Unit where the verification has already been completed and report has been submitted by the outside professional firms appointed for this purpose. The accounting treatment wherever necessary of discrepancies noticed will be carried out in due course after receipt of reports. No additional provision for shortage of assets have been made for Talcher Unit as because, provision for "Obsolescence and Shortages" already provided in the books of Unit is much higher than the detected shortage.

टिप्पणी नहीं।

No comments

वस्तुसूचियों का कार्य प्रगति में है केवल तलचर एकक को छोड़ कर जहाँ सत्यापन का कार्य इसी कार्य के लिये नियुक्त बाहरी वृत्तिक प्रतिष्ठान द्वारा पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट मिलने पर पाई गई विसंगतियों को लेखा में उचित परिवर्तन किया जायेगा। तलचर एकक के लिये स्टोर्स एवं स्पेयर्स में कमी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि एकक में लेखों "कर्मियों एवं अप्रचालन" के लिये पहले ही पाई गई कमी से बहुत अधिक का प्रावधान किया गया है।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

2. (a) We are informed that the physical verification of  
+(b) inventory was conducted only in Talcher Unit  
during the year. The procedure of physical  
verification of inventory followed by the  
management for Talcher Unit is reasonable and  
adequate. In respect of other Units, there is no  
physical verification of inventories during the year,  
therefore we are unable to comment on the  
procedures followed by the management in this  
regard.

(ग) निगम वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रख रहा है। वर्ष के  
दौरान वस्तुसूचियों के अधिकतर भाग के भौतिक सत्यापन  
के अभाव में विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, पर हम  
टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और उस पर लेखों में लिये  
जाने की विधि के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ  
हैं।

(c) The Corporation is maintaining proper records  
of Inventory. In the absence of any physical  
verification for major part of inventories during  
the year we are unable to comment on  
discrepancies, if any, and its treatment in the  
accounts.

3.(क, निगम ने अनुच्छेद की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में  
ख, ग, वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों से कोई सुरक्षित  
घ) या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

3.(a, The Corporation has not granted any loan,  
b,c secured or unsecured to companies, firms  
&d) or other parties stated in the register  
maintained under section 301 of the Act.

3.(च, निगम ने अनुच्छेद की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में  
छ, ज) वर्णित कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टियों से कोई सुरक्षित या  
असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

Physical verification of inventory for the year is in  
progress, except in Talcher Unit where the verification  
has already been completed and report has been  
submitted by the outside professional firms appointed  
for this purpose. The accounting treatment wherever  
necessary of discrepancies noticed will be carried out  
in due course after receipt of reports. No additional  
provision for shortage of stores and spares have been  
made for Talcher Unit as because, provision for  
"Obsolescence and Shortages" already provided in the  
books of Unit is much higher than the detected shortage.

इस बिन्दु पर ऊपर पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

Already explained in the point above.

टिप्पणी नहीं।

No comments

टिप्पणी नहीं।

**ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य**

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

3.(e,f) The Corporation has not taken any loan secured & g) or unsecured from any company, firm or other party stated under the register maintained u/s 301 of the Act.

4. निगम को बंद करने के भारत सरकार के आदेश जारी होने के कारण और इसके अतिरिक्त इस तथ्य के कारण कि निगम में केवल कुछ कर्मचारी शेष रह गये हैं, हम वस्तुसूची और स्थायी परिसम्पत्तियों तथा वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं पर आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में कुछ कहने के योग्य नहीं हैं।

4. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of Inventory and Fixed Assets and sale of goods and services.

5.(क) अनुच्छेद की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में लेन-देन की प्रविष्टि आवश्यक है, जिसकी प्रविष्टि कर दी गई है।

5.(a) The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act have been so entered.

5.(ख) उन कम्पनियों के साथ लेन-देन जिनमें कम्पनी के निदेशक रुचि रखते हैं कुल 5 लाख रुपये या अधिक के सौदों की दरों जिन पर वह सौदे किये गये, के बारे में हम कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में उसी प्रकार के सौदे के लिये तुलनात्मक दरें सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थे।

**निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण**

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

No comments

भारत सरकार के सभी इकाइयों को बंद करने के निर्णय और सभी कर्मचारियों को वी एस एस के अंतर्गत निवृत्त करने के कारण ऐसी कोई खरीद और उपभोग/वस्तुसूची/स्थायी परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो रहा जिसके लिये विशिष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के प्रयोग की आवश्यकता हो। जैसा कि बी आई एफ आर ने निदेश दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, उर्वरक विभाग/भारत सरकार द्वारा परिसम्पत्ति बिक्री समिति का गठन किया जाना है।

As such, there are no purchases and consumption / use of inventory / fixed assets to exercise specific internal control procedure due to closure of all the units, consequent to the decision of Gol to close the units and release all employees on VSS. The Assets Sale Committee as directed by BIFR is constituted by Gol/ DoF and as approved by Hon'ble High Court of Delhi.

टिप्पणी नहीं।

No comments

टिप्पणी नहीं।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

- 5.(b) As regards to transactions with the companies in which the Directors of the company are interested, aggregating to Rs.5 lakh or more, we are unable to comment on the rates at which such transactions were made as the comparative rates for similar transactions were not available for verification.
6. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।  
6. The Corporation has not accepted any deposits from the public.
7. निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए वर्ष के दौरान निगम में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। आन्तरिक लेखा परीक्षा केवल संयंत्रों में वर्ष के कुछ भाग में की गई हैं। हमें बताया गया है कि अति सीमित कर्मचारियों के कारण तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग को नहीं बनाये रखा जा सका।
7. The Corporation did not have a proper Internal Audit System commensurate with the size and nature of it's business during the year. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the Internal Audit department could not be maintained.
8. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों को रखना आवश्यक किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखने से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूँकि उत्पादन गतिविधियाँ बन्द कर दी गयी है, लागत रिकार्ड नहीं बनाया और अनुरक्षित किया गया है।

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

No comments

टिप्पणी नहीं।

No comments

बंद के निर्णय के कारण और तदनुसार अधिकतर कर्मचारियों के वी.एस.एस. के अंतर्गत निवृत्ति के कारण, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं बनाये रखा जा सका। फिर भी वर्ष के दौरान एककों में आंतरिक लेखा परीक्षण कर लिया गया है।

In view of the closure decision and consequent release of most of the employees on VSS, the Internal Audit Deptt. could not be maintained. However, the Internal Audit of units have been carried out during the year.

निगम को बन्द करने के निर्णय को देखते हुये, लागत रिकार्ड "लागत एकाउन्टिंग रिकार्ड" फर्टिलाइजर नियम, 1993 को रखने में छूट देने के लिये उचित प्राधिकारी से स्वीकृति माँगी गयी है जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

8. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the orders for closure of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.

9.(क) निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर आदि को जमा करने में सामान्यतः नियमित रहा है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2008 को कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देय के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे। कोरबा में सीमा शुल्क के 580 लाख रुपये को छोड़ कर (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.1) तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को किराये पर देने पर 5.09 लाख रुपये की सेवा कर देयता (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.8)

9.(a) The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, and Sales Tax etc. According to information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2008 for a period of more than six months from the date they became payable except Rs. 580 Lakh of custom duty at Korba Division (Refer to Note No. 5.1) and Rs. 5.09

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

In view of decision for closure of the Corporation, exemption for maintaining cost records, "Cost Accounting Records" Fertilizer Rules 1993 has been sought from appropriate authority, for which approval is yet to be received.

टिप्पणी नहीं।

No comments

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

lakhs of service tax on renting of immovable property (Refer to Note No. 7.8).

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <p>(ख) विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नक के रूप में उपलब्ध हैं जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।</p>  | <p>टिप्पणी नहीं।</p> |
| <p>(b) In respect of disputed amounts not deposited on account of sales tax, custom duty, excise duty and cess, the required information is provided by way of an Annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.</p> | <p>No comments</p>   |
| <p>10. निगम को वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि उसके प्रदत्त पूँजी और आरक्षित से अधिक है। निगम को वर्ष के दौरान एवं गत वित्त वर्ष में नगद हानि हुई है।</p>   | <p>टिप्पणी नहीं।</p> |
| <p>10. The Corporation has accumulated losses at the end of the financial year more than its Paid-up Capital and Reserves. The Corporation has also incurred cash losses during the year and in the immediately proceeding financial year.</p>   | <p>No comments</p>   |
| <p>11. निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम की देयताओं का भुगतान करने में बकायादार रहा है। वर्ष के अंत तक मूल और ब्याज के रूप में 1991-92 से 16671.96 लाख रुपये बकाया थे। इसमें से वर्ष 2005-06 में मूलधन के 1600 लाख रुपये का पुनर्भुगतान, गारंटीदाता के रूप में, भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।</p>                                    | <p>टिप्पणी नहीं।</p> |
| <p>11. The Corporation has defaulted in repayment of dues to Life Insurance Corporation of India, the amount of default on account of principal and</p>  | <p>No comments</p>   |

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

interest as at the end of the year was Rs. 16671.96 lakh since 1991-92. However out of this Rs.1600 lakh principal amount was repaid in the year 2005-06 by Govt. of India being a guarantor.

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 12. | निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियों के गिरवी के अंतर्गत कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।              | टिप्पणी नहीं। |
| 12. | The Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities. | No comments   |
| 13. | निगम चिट फंड कम्पनी नहीं है।   | टिप्पणी नहीं। |
| 13. | The Corporation is not a Chit Fund Company.  | No comments   |
| 14. | निगम, शेयर, प्रतिभूति, डिबेन्चर या अन्य निवेशों पर व्यापार या लेन-देन नहीं करता है।  | टिप्पणी नहीं। |
| 14. | The Corporation is not dealing or trading in shares, securities, debentures or other investments.  | No comments   |
| 15. | निगम ने अन्यो के द्वारा लिये गये उधार पर किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।   | टिप्पणी नहीं। |
| 15. | The Corporation has not given any guarantee for loans taken by others.   | No comments   |
| 16. | निगम ने वर्ष में किसी प्रकार का मियादी उधार नहीं लिया है।  | टिप्पणी नहीं। |
| 16. | The Corporation has not obtained any term loan during the year.  | No comments   |
| 17. | निगम ने वर्ष में कोई अल्प अवधि ऋण नहीं लिया है।  | टिप्पणी नहीं। |

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE  
NO. STATUTORY AUDITORS**

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

**REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'**

17. The Corporation has not raised any short term fund during the year.	No comments
18. निगम ने वर्ष में शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।	टिप्पणी नहीं।
18. The Corporation has not made any preferential allotment of shares during the year.	No comments
19. निगम ने वर्ष में कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।	टिप्पणी नहीं।
19. The Corporation has not issued any debentures.	No comments
20. निगम ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की है।	टिप्पणी नहीं।
20. The Corporation has not raised any money through public issues.	No comments
21. हमें बताया गया है कि कम्पनी के ऊपर या उसके द्वारा वर्ष में कोई छलपूर्ण रिपोर्ट नहीं पायी गयी है या रिपोर्ट की गयी है।	टिप्पणी नहीं।
21. We are informed that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the year.	No comments

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न निगम के लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणिका की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरणिकाएं कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय देना है।

हमने लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्यान्वयन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिये करें कि यह वित्तीय विवरणिकाएं किसी ठोस दोष से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं में धन राशियों तथा प्रगटीकरण के समर्थन में प्रमाण भी सम्मिलित होते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा में हमारी राय तर्कसंगत आधार पर दी गई है।

1. जैसा की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा 4(क) के अन्तर्गत अपेक्षित भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के द्वारा अपेक्षित है, हमने उक्त आदेशों के पैराग्राफ 4 एवं 5 के मानकों के बारे में अनुलग्नक में एक वक्तव्य लगा दिया है।
2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुलग्नक की टिप्पणियों के अलावा हमारा यह कथन है कि :-
  - (क) हमने वह सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हैं।

## AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Fertilizer Corporation of India Limited, as at 31st March, 2008 and also the Profit & Loss Account and Cash-Flow Statement of the company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, issued by the Central Govt. of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
2. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 1 above, we report that:
  - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit.

- (ख) हमारी राय में जैसा बहियों की जांच के दौरान प्रतीत हुआ कम्पनी ने कानून में अपेक्षित लेखों की उचित लेखा बहियां रखी हैं।
- (ग) इस रिपोर्ट के अन्तर्गत विचारित तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणिकाएं लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (घ) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक का पालन हुआ है। केवल इण्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्स आफ इण्डिया द्वारा जारी वित्तीय विवरण में लेखा मानक-28 “परिसम्पत्तियों में ह्रास” के अनुरूप उन ह्रासित हानियों को छोड़कर जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, यदि कोई हो तो, पर, हम, राजस्व परिसम्पत्तियों और देनदारी पर प्रभावी परिणाम के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं (संदर्भ टिप्पणी सं. 7.6)
- (ङ) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के अनुरूप कम्पनियों से उपकर एवं उसकी उगाही से संबंधित नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किये हैं। अतः हम उक्त धारा के अन्तर्गत निर्धारित उपकर के बारे में निगम के उत्तरदायित्व के बारे में कोई राय देने में असमर्थ हैं।
- (च) भारत सरकार ने अपने अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 के द्वारा सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) जो कि निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित हैं, के प्रावधानों के लागू होने में छूट दी है।
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of such books.
- (c) The Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- (d) Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt by this report complied with mandatory Accounting standard, referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except in respect of non recognition of impairment of loss, if any, in financial statement in accordance with Accounting Standard 28 “Impairment of Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. We are unable to express opinion on the consequential impact on revenue, assets and liabilities. (Refer Note No. 7.6).
- (e) The Central Government has not yet notified the rules relating to the levy and collection of cess from companies in terms of section 441A of the Companies Act, 1956. We are therefore unable to comment on the Corporation’s liability towards cess duty as prescribed under the said section.
- (f) The Central Government has, vide clarification No. GSR 829(E) dated 21<sup>st</sup> October 2003, exempted Government Companies from the applicability of the provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of directors.
- 3.1 31 मार्च, 2008 को निगम की संचित हानि इसकी प्रदत्त पूँजी और मुक्त आरक्षित पूँजी से अधिक हो गई है तथा
- 3.1 The accumulated loss of the Corporation as on 31.03.2008 exceeds its paid up capital and free

निगम एक रुग्ण कम्पनी घोषित कर दी गई है। निगम द्वारा बी.आई.एफ.आर. को दिये गये आवेदन के परिणामस्वरूप बी.आई.एफ.आर. ने अपने 2.4.2004 की सुनवाई के अंतर्गत 17.5.2004 के आदेश में कम्पनी को बन्द करने की सिफारिश की है और अपने सुझाव माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को 27.5.2004 को अग्रेषित कर दिया है (संदर्भ टिप्पणी सं. 1.1 और 1.2)।

reserves and the Corporation has been declared a sick company. In pursuance to application by the Corporation to the BIFR, the BIFR vide order dated 17.05.2004 pursuant to a hearing dated 02.04.2004, recommended for winding up of the company and forwarded its opinion to the Hon'ble Delhi High Court on 27.5.2004 (Refer Note No. 1.1 & 1.2).

- |       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| 3.2   | जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383 ए में अपेक्षित है निगम में 2 जुलाई, 2003 के बाद, जो कि कम्पनी सचिव के निधन की तिथि है, कम्पनी सचिव नहीं था।  | 3.2   | The Corporation did not have a Company Secretary after 2 <sup>nd</sup> July 2003, that is the date of death of the Corporation's Company Secretary, as required in terms of Section 383A of the Companies Act, 1956. |
| 3.3   | निम्नलिखित के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है :  | 3.3   | No Provision has been made for the following:  |
| 3.3.1 | कोरबा परियोजना के लिये सीमा शुल्क विभाग द्वारा माँगे गये 580 लाख रुपये की अतिरिक्त सीमा शुल्क का जिसके लिए कुर्की की कार्यवाही आरंभ कर दी गयी थी। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.1)।  | 3.3.1 | The Additional Custom Duty of Rs. 580 lakh demanded by customs authorities in respect of Korba Project for which attachment proceedings have been initiated. (Refer Note No. 5.1).                                   |
| 3.3.2 | 31 मार्च, 1991 तक भारत सरकार के ऋणों पर देय जुर्माना ब्याज की 13753.35 लाख रुपये की राशि का (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2)   | 3.3.2 | Penal interest amounting to Rs. 13753.35 lakh payable on Government of India's loans up to 31st March, 1991 (Refer Note No. 5.2).  |
| 3.3.3 | सी डब्ल्यू सी के ऋण पर वर्ष के लिये 207.59 लाख रुपये के ब्याज (31.3.2008 तक संचित 1394.75 लाख रुपये) तथा 31.3.2006 तक जीवन बीमा निगम के ऋण पर संचित ब्याज 10550.03 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है। (संदर्भ टिप्पणी सं. 5.3) | 3.3.3 | Interest for the year Rs.207.59 lakh on CWC loan (accumulated up to 31.03.2008 Rs.1394.75 lakh) and accumulated interest on loan taken from LIC Rs. 10550.03 lakh up to 31.03.2006. (Refer Note No. 5.3).            |
| 3.3.4 | चालू वर्ष के लिये तेल की आपूर्ति से संबंधित देरी से किये भुगतानों के लिये इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को देय 400.53 लाख रुपये के ब्याज की राशि का (31.3.2008 तक संचित 3278.25 लाख रुपये (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.7)।                     | 3.3.4 | Interest amounting to Rs. 400.53 lakh (accumulated up to 31st March, 2008 Rs. 3278.25 lakh) payable to Indian Oil Corporation Limited for delayed payments towards supply of oil (Refer Note No. 5.7).               |
| 3.3.5 | स्थायी परिसम्पत्ति को किराये पर देने पर 5.09 लाख रुपये की सेवा कर देयता (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.8)   | 3.3.5 | Service tax liability of Rs. 5.09 lakhs on renting of immovable property (Refer Note No. 7.8).   |

- |   |   |
|---|---|
| <p>3.4 कार्यकलापों/वर्ष के लिये हानि पर निम्न के मामलों में प्रभावी परिणाम किस सीमा तक प्रभावी होगा पर हम अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।</p> <p>3.4.1 पूर्व वर्षों से संबंधित देनदारों के अनिर्धारित ब्याज/क्षति के असमायोजित मामले तथा उपार्जित एवं देय मूलधन एवं ब्याज के असमायोजित/असमाशोधित मामले तथा भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से लिये गये ऋणों पर उपार्जित पर देय तथा देय नहीं ब्याज तथा अन्य व्यक्तिगत लेखों के संबंध में अधिशेष जिनकी पुष्टि नहीं हुई है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.3)।</p> <p>3.4.2 उन परिसम्पत्तियों जिन्हें सक्रिय प्रयोग से हटा कर सेवामुक्त कर निपटान हेतु रख दिया गया है के निपटान से होने वाली हानि, यदि कोई हो तो (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.4)।</p> <p>3.4.3 वस्तुसूची के निपटान से संभावित हानि, यदि कोई हो तो (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.5)।</p> <p>3.4.4 कोरबा की भूमि (मूल्य ज्ञात नहीं है) जो कि राज्य सरकार से निशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में लेखित न करना। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 4.3)।</p> <p>3.4.5 माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बकाया, यदि हो तो, विवरणों को प्रकट न करना तथा देय ब्याज को लेखित न करना (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.10)।</p> | <p>3.4 We are unable to express our opinion on the extent and consequential impact on state of affair/ loss for the year in respect of:</p> <p>3.4.1 Unascertained interest / damages on account of creditors lying unadjusted / un-reconciled since earlier years and non-confirmation and non-reconciliation of principal and interest accrued and due, as well as accrued but not due on loans obtained from Government of India, Life Insurance Corporation of India and Central Warehousing Corporation Limited and in respect of unconfirmed balances in other personal accounts (Refer Note No. 7.3).</p> <p>3.4.2 Loss, if any, that may arise on disposal of assets retired from active use and held for disposal (Refer Note No. 7.4).</p> <p>3.4.3 Loss, if any, that may arise on disposal of inventory (Refer Note No. 7.5).</p> <p>3.4.4 Non-accounting of land at Korba (value not ascertained) received free of cost from State Govt. (Refer Note No. 4.3).</p> <p>3.4.5 Non-disclosure of particulars and non-accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium, Enterprises as per Micro, Small and Medium, Enterprises Development Act, 2006. (Refer Note No. 5.10)</p> |
|---|---|

आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि मद जो कि उपर्युक्त पैरा 2(घ) और 3.4 में समाहित है, को बिना विचार किये, जिसका प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका और हमारे द्वारा उपर्युक्त पैरा 3.3 में किये गये प्रेक्षण पर विचार किया गया है:

- 1) पूर्व सूचित 150483.30 लाख रुपये की हानि की तुलना में वर्ष के लिये हानि 151096.51 लाख रुपये होगी।

We further report that, without considering items mentioned at para 2(d) & 3.4 above, the effect of which could not be determined and, had the observations made by us in para 3.3 above have been considered:

- 1) Loss for the year would have been Rs.151096.51 Lakh as against the reported loss of Rs.150483.30 Lakh.

- 2) पूर्व सूचित 28539.99 लाख रुपये की तुलना में वर्ष के अंत में चालू देयताएं एवं प्रावधान 58101.46 लाख रुपये होगा।
- 3) पूर्व सूचित 1567917.87 लाख रुपये की तुलना में संचित हानि 1597479.34 लाख रुपये होगा।

उल्लिखित पैरा 3 में हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों तथा उसमें दर्शाये गये मामलों में होने वाले समायोजनों तथा उनके परिणामस्वरूप वर्ष के लिये हानि, संचित हानि तथा परिसम्पत्तियों, देयताओं की अन्य मदों पर पड़ने वाले प्रभावों के अतिरिक्त हमारी राय में तथा हमारी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार टिप्पणियाँ जो कि वार्षिक लेखों का भाग है, के सहित उपर्युक्त लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वांछित जानकारी देते हैं, जो कि उचित एवं सत्य है तथा भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है :

- (क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2008 को कम्पनी के कार्यकलापों का।
- (ख) लाभ एवं हानि के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये हानि का।
- (ग) नगद प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के नकद प्रवाह का।

कृते एच.के चौधरी एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार

ह०/-

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : जून 26, 2008

(आई. जे. सोनी)  
भागीदार  
सदस्य सं. 88694

- 2) Current Liabilities and provisions as at the end of the year would have been Rs.58101.46 Lakh as against the reported figure of Rs. 28539.99 Lakh).
- 3) Accumulated losses would have been Rs.1597479.34 Lakh as against the reported figure of Rs. 1567917.87 Lakh.

Subject to our comments as above in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting polices and notes thereon give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2008.
- (b) In the case of the Profit & Loss Account, of the Loss for the year ended on that date.
- (c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flow of the company for the year ended on that date.

For M/s. H.K. Chaudhry & Company  
Chartered Accountants

Sd/-

Place : New Delhi  
Dated : June 26, 2008

(I.J. Soni)  
Partner  
M.No. 88694

**31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दर्शाये गये पैराग्राफ 1 का अनुलग्नक**

**ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 1 OF THE AUDITORS' REPORT ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008**

1. (क) निगम ने अधिकतर स्थायी परिसम्पत्तियों के उन परिसम्पत्तियों सहित जिन्हें सेवा मुक्त कर निपटान हेतु रख दिया है, के मात्रात्मक विवरणों और अवस्थापनों सहित उचित रिकार्ड रखे हैं केवल कुछ एककों/प्रभागों को छोड़कर जहाँ कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। कुछ एककों/प्रभाग में स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड पूरे नहीं किये गये हैं।
- (ख) वर्ष के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। फिर भी हमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष में बाहरी वृत्तिक प्रतिष्ठान द्वारा प्लान्ट और मशीनों को छोड़ कर स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन केवल तलचर एकक में किया गया तथा अन्य एककों में कार्य प्रगति में है। जहाँ भी विसंगति पाई गई, कमी का प्रावधान कर दिया गया है। वर्ष के अंतर्गत अन्य एककों के भौतिक सत्यापन के अभाव में हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (ग) भारत सरकार द्वारा बंद के आदेश जारी करने के कारण चालू कम्पनी की परिकल्पना को प्रभावित किया गया है। फिर भी निगम ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है। यद्यपि उत्पादन इकाइयों में पड़ी स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिकतर हिस्से सक्रिय प्रयोग से निवृत्त हो गये हैं और निपटान के लिये हैं।
1. (a) The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/division where for some items particulars, location and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/division fixed asset records are not updated.
- (b) The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal, has not been carried out during the year. However it has been informed to us that physical verification of fixed assets other than plant & machinery was carried out by outside professional firms during the year for Talchar Unit only and for other units it is in progress. Wherever the discrepancies have been found provision for shortage was made. In the absence of any physical verification during the year for other units, we are unable to comment on discrepancies, if any, and its treatment in the accounts.
- (c) In view of the closure order issued by the Govt. of India, the going concern assumption has been affected. However the Corporation has not disposed off substantial part of fixed assets during the year though major part of the fixed assets have been retired from active use and are held for disposal.

2. (क+ख) हमें बताया गया है कि प्रबंधन ने वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन केवल तलचर एकक में किया गया है। तलचर एकक के लिये प्रबंधन द्वारा अपनाया गया वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन का तरीका उचित एवं पर्याप्त है। अन्य एककों में वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अतः, हम इस संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाये गये कार्यविधि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (ग) निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों के मुख्य भाग के भौतिक सत्यापन के अभाव में हम विसंगतियों के संबंध में, यदि कोई हो तो, तथा उनका लेखों में व्यवहार के विषय में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
3. (कखग और घ) निगम ने किसी कम्पनी, फर्म या पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है जो कि अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत संरक्षित रजिस्टर में वर्णित हैं।
3. (चछ और ज) निगम ने किसी कम्पनी, फर्म या पार्टी से सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है जो कि अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत संरक्षित रजिस्टर में वर्णित हैं।
4. निगम को बंद करने के भारत सरकार के आदेश जारी होने के कारण और इसके अतिरिक्त इस तथ्य के कारण कि निगम में केवल कुछ कर्मचारी शेष रह गये हैं, हम वस्तुसूची और स्थायी परिसम्पत्तियों तथा वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं पर आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी करने के योग्य नहीं हैं।
5. (क) लेन-देन जिसकी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, प्रविष्टि कर दी गयी है।
2. (a+b) We are informed that the physical verification of inventory was conducted only on Talcher Unit during the year. The procedure of physical verification of inventory followed by the management for Talcher Unit is reasonable and adequate. In respect of other Units, there is no physical verification of inventories during the year, therefore we are unable to comment on the procedures followed by the management in this regard.
- (c) The Corporation is maintaining proper records of Inventory. In the absence of any physical verification for major part of inventories during the year we are unable to comment on discrepancies, if any, and its treatment in the accounts.
3. (abc&d) The Corporation has not granted any loan, secured or unsecured to companies, firms or other parties stated in the register maintained under section 301 of the Act.
3. (ef&g) The Corporation has not taken any loan secured or unsecured from any company, firm or other party stated under the register maintained u/s 301 of the Act.
4. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of Inventory and Fixed Assets and sale of Goods and services.
5. (a) The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act have been so entered.

- (ख) उन कम्पनियों के साथ लेन-देन जिनमें कम्पनी के निदेशक रूचि रखते हैं कुल 5 लाख रुपये या अधिक के सौदों की दरों जिन पर वह सौदे किये गये, के बारे में हम कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में उसी प्रकार के सौदे के लिये तुलनात्मक दरें सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थे।
- (b) As regards to transactions with the companies in which the Directors of the company are interested, aggregating to Rs. 5 lakh or more, we are unable to comment on the rates at which such transactions were made as the comparative rates for similar transactions were not available for verification.
6. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। 6. The Corporation has not accepted any deposits from the public.
7. निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए वर्ष के दौरान निगम में समुचित आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। आन्तरिक लेखा परीक्षा केवल संयंत्रों में वर्ष के कुछ भाग में की गई है। हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग को नहीं बनाये रखा जा सका। 7. The Corporation did not have a proper Internal Audit System commensurate with the size and nature of its business during the year. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the Internal Audit department could not be maintained.
8. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों को रखना आवश्यक किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखने से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियाँ बन्द कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया और अनुरक्षित किया गया है। 8. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the orders for closure of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed, no cost records have been made and maintained.
9. (क) निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर आदि को जमा करने में सामान्यतः नियमित रहा है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2008 को कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देय के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे। कोरबा में सीमा शुल्क के 580 लाख रुपये को छोड़ कर 9. (a) The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, and Sales Tax etc. According to information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2008 for a period of more than six months from the date they became payable except Rs. 580 Lakh of custom duty at Korba

(संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.1) तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को किराये पर देने पर 5.09 लाख रुपये की सेवा कर देयता (संदर्भ टिप्पणी संख्या 7.8)

(ख) विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नक के रूप में उपलब्ध हैं जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

Division (Refer to Note No. 5.1) and Rs. 5.09 lakhs of service tax on renting of immovable property (Refer to Note No. 7.8).

(b) In respect of disputed amounts not deposited on account of sales tax, custom duty, excise duty and cess, the required information is provided by way of an Annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

- |  |  |
|--|--|
| <p>10. निगम को वित्त वर्ष के अंत में संचित हानि उसके प्रदत्त पूँजी और आरक्षित से अधिक है। निगम को वर्ष के दौरान एवं गत वित्त वर्ष में नगद हानि हुई है।</p> <p>11. निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम की देयताओं का भुगतान करने में बकायादार रहा है। वर्ष के अंत तक मूल और ब्याज के रूप में 1991-92 से 16671.96 लाख रुपये बकाया थे। इसमें से वर्ष 2005-06 में मूलधन के 1600 लाख रुपये का पुनर्भुगतान, गारंटीदाता के रूप में, भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।</p> <p>12. निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेन्चर और अन्य प्रतिभूतियों के गिरवी के अंतर्गत कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।</p> <p>13. निगम चिट फंड कम्पनी नहीं है।</p> <p>14. निगम, शेयर, प्रतिभूति, डिबेन्चर या अन्य निवेशों पर व्यापार या लेन-देन नहीं करता है।</p> <p>15. निगम ने अन्यो के द्वारा लिये गये उधार पर किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।</p> <p>16. निगम ने वर्ष में किसी प्रकार का मियादी उधार नहीं लिया है।</p> <p>17. निगम ने वर्ष में कोई अल्प अवधि ऋण नहीं लिया है।</p> | <p>10. The Corporation has accumulated losses at the end of the financial year more than its Paid-up Capital and Reserves. The Corporation has also incurred cash losses during the year and in the immediately proceeding financial year.</p> <p>11. The Corporation has defaulted in repayment of dues to Life Insurance Corporation of India, the amount of default on account of principal and interest as at the end of the year was Rs. 16671.96 lakh since 1991-92. However out of this Rs.1600 lakh principal amount was repaid in the year 2005-06 by Govt. of India being a guarantor.</p> <p>12. The Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.</p> <p>13. The Corporation is not a Chit Fund Company.</p> <p>14. The Corporation is not dealing or trading in shares, securities, debentures or other investments.</p> <p>15. The Corporation has not given any guarantee for loans taken by others.</p> <p>16. The Corporation has not obtained any term loan during the year.</p> <p>17. The Corporation has not raised any short term fund during the year.</p> |
|--|--|

18. निगम ने वर्ष में शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।
19. निगम ने वर्ष में कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।
20. निगम ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की है।
21. हमें बताया गया है कि कम्पनी के ऊपर या उसके द्वारा वर्ष में कोई छलपूर्ण रिपोर्ट नहीं पायी गयी है या रिपोर्ट की गयी है।
18. The Corporation has not made any preferential allotment of shares during the year.
19. The Corporation has not issued any debentures.
20. The Corporation has not raised any money through public issues.
21. We are informed that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the year.

कृते एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार

For M/s. H.K. Chaudhry & Company  
Chartered Accountants

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : जून 26, 2008

ह०/-  
(आई. जे. सोनी)  
भागीदार  
सदस्य सं. 88694

Place : New Delhi  
Dated : June 26, 2008

Sd/-  
(I.J. Soni)  
Partner  
M.No. 88694

अनुलग्नक  
**ANNEXURE**

31.3.2008 को लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में पैरा 9(ख) में वर्णित विवादास्पद सांविधिक देयताओं के ब्यौरे।

**DETAILS OF DISPUTED STATUTORY DUES AS REFERRED IN THE PARA NO. 9 (b) OF THE ANNEXURE TO THE AUDITORS REPORT ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2008**

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
<b>सिन्दरी</b>				
<b>SINDRI</b>				
1.	बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम'77 तथा बिहार और उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1990  Bihar Health Cess Act. 77 and Bihar and Orissa Primary Education Act. 1990.	नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर अधिरोपित  Health Cess and Education Cess imposed by Notified Area Committee	188.08 लाख रुपये + 1996 से ब्याज (सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये का भुगतान न्यायालय को किया)  188.08 lakh + Interest from 1996. (Rs. 30 lakh paid to Court as per SC interim orders).	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय  Supreme Court of India.
2.	उत्पाद शुल्क  Excise	उत्पाद शुल्क  Excise duty	18.78 लाख रुपये + 1977 से ब्याज  18.78 lakh + interest from 1977	उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना  Commissioner of Excise, Patna
3.	उत्पाद शुल्क  Excise	उत्पाद शुल्क  Excise duty	315.85 लाख रुपये  315.85 lakh	सी ई एस ए टी, कोलकाता  CESAT, Kolkata

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
4.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	59.90 लाख रुपये 59.90 lakh	उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोलकाता Commissioner of Excise, Kolkata
5.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	58.61 लाख रुपये 58.61 lakh	आयुक्त (उत्पाद शुल्क), जमशेदपुर Commissioner of Excise, Jamshedpur
6.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	118.52 लाख रुपये 118.52 lakh	अधीक्षक (उत्पाद शुल्क), सिन्दरी Supdt (Excise) Sindri
7.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	421.65 लाख रुपये 421.65 lakh	जे सी सी टी, धनवाद JCCT, Dhanbnad
8.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	7.17 लाख रुपये 7.17 lakh	जे सी सी टी, राँची JCCT, Ranchi
9.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	1840.85 लाख रुपये 1840.85 lakh	सी सी टी, राँची CCT, Ranchi
10.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	1.00 लाख रुपये 1.00 lakh	ए सी सी टी, राँची ACCT, Ranchi
11.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	5 लाख रुपये + 1993-94 से ब्याज 5.00 lakh + Interest from 1993-94	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना Dy. Commissioner of Commercial Taxes, Patna

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
<b>गोरखपुर</b>				
<b>GORAKHPUR</b>				
12.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	0.41 लाख रुपये 0.41 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
13.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	उत्पाद शुल्क Excise duty	0.32 लाख रुपये 0.32 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
<b>रामागुण्डम</b>				
<b>RAMAGUNDAM</b>				
14.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	57.30 लाख रुपये 57.30 lakh	सी ई एस ए टी, बंगलौर CESAT, Bangalore
<b>तलचर</b>				
<b>TALCHER</b>				
15.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	2.27 लाख रुपये 2.27 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कटक, उड़ीसा Asstt. Commissioner of Sales Tax, Cuttack, Orissa.
<b>कोरबा</b>				
<b>KORBA</b>				
16.	प्रोजेक्ट आयात विनियम, 1956 Project Import Regulations, 1956	सीमा शुल्क Customs Duty	5.09 लाख रुपये 5.09 lakh	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम Asstt. Commissioner of Customs, Visakhapatnam Distt. Court, Bilaspur

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
17.	वन विभाग Forest Department	वनरोपण क्षतिपूर्ति Forest Growth Compensation	24.39 लाख रुपये 24.39 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
18.	वन विभाग Forest Department	वनरोपण क्षतिपूर्ति Forest Growth Compensation	8.66 लाख रुपये 8.66 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur

### विपणन प्रभाग

#### MARKETING DIVISION

19.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.89 लाख रुपये 24.89 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, पटना Asstt. Commissioner of Sales Tax, Patna
20.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24 लाख रुपये 24.00 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ Asstt. Commisioner of Sales Tax, Lucknow.

**दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणी**

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कम्पनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपने वृत्तिक निकाय, इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों एवं आश्वासन के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 26.6.2008 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जाँचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षण कम्पनी वैयक्तिक के जाँच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि मेरे ध्यान में आया है और जो कि मेरे विचार में वित्तीय विवरण तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिये आवश्यक है:

**तुलन-पत्र -**

**स्थायी परिसम्पत्तियाँ : निपटान के लिये रखी गयी सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-6): 25051.19 लाख रुपये।**

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार 2003-04 से सकल खण्ड का 95 प्रतिशत तक मूल्यहास नहीं करने के कारण उपर्युक्त 18722.95 लाख रुपये अधिक दिखाया गया था। इसी कारण 1567917.87 लाख रुपये की संचित हानि 18722.95 लाख रुपये कम करके दिखाया गया है।

ह/-

(बी. मजूमदार)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 28.07.2008

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक

तथा आडिट बोर्ड - II के पदेन सदस्य, कोलकाता

**दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण।**

कम्पनी को बन्द करने के निर्णय के कारण तथा परिसम्पत्तियों के एक-मुश्त सेवामुक्त और सेवामुक्त परिसम्पत्तियों के निवल वसूली योग्य मूल्य के उचित निर्धारण के कारण यह आवश्यक समझा गया कि 95 प्रतिशत तक मूल्यहास को चार्ज न करके लेखा नीति में परिवर्तन किया जाये।

लागत का 95 प्रतिशत तक मूल्यहास लाने के विषय में आगे समीक्षा की गयी है। अतः शासकीय लेखा परीक्षक द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात चालू वित्त वर्ष में परिपालन किया जायेगा।

**Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2008**

The preparation of financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2008 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statement under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standard prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.06.2008.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 619(4) of the Companies Act, 1956 which has come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the financial statement and the related Audit Report:

**Balance Sheet –**

**Fixed Assets : Retired assets held for disposal (Schedule – 6) : Rs. 25051.19 lakh.**

The above was overstated by Rs.18722.95 lakh due to not charging the depreciation up to 95 percent of the gross block since 2003-04, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956. As a result, the accumulated loss of Rs. 1567917.87 lakh has been understated by Rs. 18722.95 lakh.

Place : Kolkata  
Dated : 28.07.2008

Sd/-  
(B. Mazumdar)  
Principal Director of Commercial Audit  
and Ex-officio Member, Audit Board-II, Kolkata.

**Remarks of the Board of Directors on the Comments of Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended March 31, 2008**

In view of decisions of closure of the Company and en-block retirement of assets and to further exhibit a fair assessment of net realizable value of retired assets, it was considered necessary to change Accounting Policy by not charging depreciation up to 95% of the cost.

The matter have been further reviewed for charging of depreciation to bring up to 95% of the cost. Accordingly the direction given by Govt. Audit will be implemented in the current financial year after obtaining approval of the Board.

**तुलन पत्र**

31 मार्च, 2008 को

**BALANCE SHEET**

AS AT 31ST MARCH, 2008

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची/Schedule	2008	2007
<b>I. निधियों के स्रोत</b>	<b>I. SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>1. शेयरधारियों की निधियाँ</b>	<b>1. Shareholders' Funds</b>			
(क) शेयर पूँजी	(a) Share Capital	1	7509239	7509239
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	2	11755	11755
<b>2. ऋण निधियाँ</b>	<b>2. Loan Funds</b>			
(क) सुरक्षित ऋण	(a) Secured Loans	3	0	0
(ख) असुरक्षित ऋण	(b) Unsecured Loans	4	150281355	135220114
<b>योग</b>	<b>Total</b>		<u>157802349</u>	<u>142741108</u>
<b>II. निधियों के उपयोग</b>	<b>II. APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>1. Fixed Assets</b>			
(क) सकल खण्ड	(a) Gross Block		301005	301005
(ख) घटाएं : मूल्यहास	(b) Less : Depreciation		219741	216801
(ग) निवल खण्ड	(c) Net Block	5	<u>81264</u>	<u>84204</u>
(घ) निपटान के लिए रखी गयी सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ	(d) Retired Assets held for disposal			
सकल खण्ड	Gross Block		10961764	10961764
घटाएं : कमी के लिये मूल्यहास/प्रावधान	Less : Depreciation/ Provision for diminution		8456645	8456645
निवल खण्ड	Net Block	6	<u>2505119</u>	<u>2505119</u>
(ङ) पूंजीगत चालू कार्य (सी डब्ल्यू आई पी)	(e) Capital work-in Progress (CWIP)	7	0	0
(च) पूंजीगत चालू कार्य के लिये ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	(f) Advances to contractors/ suppliers against capital work	8	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2. निवेश</b>	<b>2. Investments</b>	9	2586383	2589323
			5	5

(जारी)/(Continued)



तुलन पत्र (जारी)/BALANCE SHEET (Continued)

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची/Schedule	2008	2007
<b>3. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम</b>	<b>Current Assets, Loans &amp; Advances</b>			
(क) वस्तुसूचियाँ	(a) Inventories	10	423244	423253
(ख) विविध देनदार	(b) Sundry Debtors	11	74269	71976
(ग) नकद एवं बैंक अधिशेष	(c) Cash and Bank Balances	12	696237	841836
(घ) ऋण एवं अग्रिम	(d) Loans and Advances	13	84423	83899
योग	Total		<u>1278173</u>	<u>1420964</u>
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान	Less : Current Liabilities and Provisions			
(ङ) चालू देयताएं	(e) Current Liabilities	14	2853697	3012339
(च) प्रावधान	(f) Provisions	15	302	302
योग	Total		<u>2853999</u>	<u>3012641</u>
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ	Net Current Assets		-1575826	-1591677
<b>4. विविध व्यय</b>	<b>Miscellaneous Expenditure</b>	16	0	0
(जिस सीमा तक न तो बड़ेखाते डाले गये न ही समायोजित किये गये)	(To the extent not written off or adjusted)			
लाभ एवं हानि लेखा (हानि)	Profit & Loss Account (Loss)		156791787	141743457
योग	Total		<u>156791787</u>	<u>141743457</u>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो कि तुलनपत्र का हिस्सा हैं	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts Forming part of Balance Sheet	29		

ह०/-/Sd/-

(एम. के. गुप्ता)/(M.K. Gupta)

निदेशक/Director

ह०/-/Sd/-

(सोफिया दहिया)/(Sofia Dahiya)

निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/-/Sd/-

(पी. दास)/(P. Das)

महाप्रबंधक/General Manager

ह०/-/Sd/-

(दीपक सिंघल)/(Deepak Singhal)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/  
Chairman & Managing Director

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date.

कृते एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

For M/s. H.K. Chaudhry & Company

Chartered Accountants

ह०/-/Sd/-

(आई. जे. सोनी)/(I.J. Soni)

भागीदार/Partner

सदस्य सं. 88694

स्थान : नई दिल्ली/Place : New Delhi

दिनांक : जून 26, 2008/Dated : June 26, 2008

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये)

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT (FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2008)**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची/Schedule 2008		2007
<b>I. आय</b>	<b>I. INCOME</b>			
बिक्री (प्रतिफल घटाकर)	Sales (Less Returns)	17	0	11
घटाएं : उत्पाद शुल्क	Less : Excise Duty		0	0
			0	11
प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत मूल्य समर्थन	Price Support Under Retention Price Scheme		0	0
			0	11
अन्य आय	Other Income	18	108148	109165
अन्तिम स्टाक	Closing Stock	19	15073	15073
योग	Total		123221	124249
<b>II. व्यय</b>	<b>II. EXPENDITURE</b>			
आरम्भिक स्टाक	Opening Stock	20	15073	15073
तैयार माल की खरीद	Purchase of Finished Goods	21	0	0
सामग्री की खपत	Materials consumed	22	0	9
कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, बोनस तथा अन्य लाभ	Salaries, Wages, Bonus and other benefits to employees	23	15674	202456
विद्युत एवं ईंधन	Power and Fuel		6605	6886
भाड़ा एवं उठाई धराई प्रभार	Freight and Handling Charges		4927	4176
रायल्टी	Royalties		0	0
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs and Maintenance	24	2420	2446
अन्य व्यय	Other Expenses	25	55247	48483
ब्याज	Interest	26	15060637	14036598
मूल्यहास	Depreciation		2940	3022
बट्टे खाते डाली गयी पुनर्वास एवं तकनीकी अध्ययन	Rehabilitation and Technical studies written off		0	0
विकास प्रभार	Development charges		0	0
पुनर्वास एवं तकनीकी अध्ययन के लिये प्रावधान को उलटना	Reversal of provision for rehabilitation and technical studies		0	0
<b>प्रावधान</b>	<b>Provisions</b>			
1. स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों के अप्रचलन के लिये	1. For obsolescence of Stores and Spares		0	4595
2. पूंजीगत चालू कार्य का अप्रचलन के लिये	2. For obsolescence of CWIP		0	0
3. स्थायी परिसंपत्तियों एवं वस्तु सूचियों में कमी/हानि के लिये	3. For shortages/losses in fixed assets and Inventory		0	0
4. संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिये	4. For doubtful debts and advances		3064	26761
5. निवेश के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	5. Provision for diminution for value of investments		0	0
			3064	31356
			15166587	14350505

(जारी)/(Continued)



लाभ एवं हानि लेखा (जारी)

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT (Continued)**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

	अनुसूची/Schedule	2008	2007
आगे लाया गया	Brought Forward	15166587	14350505
घटाएं :	Deduct :		
मरम्मत, विद्युत एवं ईंधन आदि पर किया गया पक्षान्तर समायोजन व्यय जो इन शीर्षों में प्रभारित किया गया तथा पूंजीगत कार्यों/परियोजनाओं के अन्य व्यय शीर्षों में भी प्रभारित किया गया	Contra Adjustment Expenditure on Repairs, Power and Fuel, etc. charged to the above heads and also included in other heads of expenditure and allocated to Capital Jobs/Projects	0	0
योग	Total	15166587	14350505
विशिष्ट मदों से पूर्व हानि	Loss before extra ordinary items	15043366	14226256
बड़े खाते डाली गयी विशिष्ट मदें	Extra Ordinary Items written off	27	0
वर्ष के लिये निवल हानि	Net Loss for the year	15043366	14226256
निवल पूर्व अवधि समायोजन	Net Prior period adjustments	28	4964
पूर्व अवधि समायोजनों के बाद हानि	Loss after prior period adjustments	15048330	14325943
जोड़ें : पिछले वर्ष से आगे लाई गई हानि	Add : Loss brought forward from previous year	141743457	127417514
तुलन पत्र में लाई गई हानि का अधिशेष	Balance of loss carried over to Balance Sheet	156791787	141743457
विशिष्ट लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो लाभ हानि लेखा का भाग है	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts forming part of Profit and Loss Account	29	

ह०/-/Sd/-

(एम. के. गुप्ता)/(M.K. Gupta)

निदेशक/Director

ह०/-/Sd/-

(सोफिया दहिया)/(Sofia Dahiya)

निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/-/Sd/-

(पी. दास)/(P. Das)

महाप्रबंधक/General Manager

ह०/-/Sd/-

(दीपक सिंघल)/(Deepak Singhal)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/  
Chairman & Managing Director

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार/  
As per our report of even date.

कृते एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

For M/s. H.K. Chaudhry & Company  
Chartered Accountants

ह०/-/Sd/-

(आई. जे. सोनी)/(I.J. Soni)

भागीदार/Partner

सदस्य सं. 88694

स्थान : नई दिल्ली/Place : New Delhi

दिनांक : जून 26, 2008/Dated : June 26, 2008

**अनुसूची - 1**

**शेयर पूंजी**

**SCHEDULE - 1  
SHARE CAPITAL**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>प्राधिकृत</b>	<b>Authorised</b>		
80,00,000 इक्विटी शेयर रु. 1,000/- के प्रत्येक	80,00,000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each	8000000	8000000
<b>जारी किये गये, अभिदत्त एवं प्रदत्त</b>	<b>Issued, Subscribed and Paid up</b>		
रु. 1000/- के पूर्णतः प्रदत्त 7509239 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	7509239 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous year 7509239 Equity Shares)	7509239	7509239
		7509239	7509239

टिप्पणी : नकद भुगतान हुए बिना 1000 रुपये के प्रत्येक 190082 शेयर (गत वर्ष 190082 शेयर) अनुबंध के कारण नकद भुगतान प्राप्त हुए बिना पूर्णतः प्रदत्त रूप में आबंटित किये गये।

Note : Shares issued include 190082 shares of Rs. 1000 each (previous year 190082 shares) allotted as fully paid up pursuant to contracts without payment being received in cash.

अनुसूची - 2

आरक्षित एवं अधिशेष

SCHEDULE - 2

RESERVES AND SURPLUS

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
आरक्षित पूंजी	Capital Reserve	11755	11755
		<u>11755</u>	<u>11755</u>

अनुसूची - 3

सुरक्षित ऋण

SCHEDULE - 3

SECURED LOANS

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

---

	2008	2007
अन्यों से कार्यशील पूँजी माँग ऋण लेखा		
From Scheduled Banks	0	0
From Others		
	0	0

---

अनुसूची - 4

असुरक्षित ऋण

SCHEDULE - 4

UNSECURED LOANS

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>भारत सरकार से</b>	<b>From Government of India</b>		
(इसमें 96440 हजार रुपये एक वर्ष के भीतर देय तथा 26998046 हजार रुपये विलम्बित देय, गत वर्ष 792730 हजार रुपये एक वर्ष के भीतर देय तथा 26090736 हजार रुपये विलम्बित देय भी शामिल है)	(including Rs. 96440 thousands repayable within a year and Rs. 26998046 thousands overdue, previous year Rs. 792730 thousands repayable within a year and Rs. 26090736 thousands over due)	27392766	27392766
भारतीय जीवन बीमा निगम से (विलम्बित देय) (गत वर्ष विलम्बित देय)	From L.I.C. (over due) (previous year over due)	0	0
सी.डब्ल्यू.सी. से (विलम्बित देय) (गत वर्ष विलम्बित देय)	From C.W.C. (over due) (previous year over due)	50000	50000
<b>उपार्जित एवं देय ब्याज :</b>	<b>Interest accrued and due on :</b>		
भारत सरकार के ऋणों पर *	Government of India Loans*	122310069	107248828
भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण पर	L.I.C. Loan	452193	452193
सी.डब्ल्यू.सी. के ऋण पर	CWC Loan	76327	76327
		<u>122838589</u>	<u>107777348</u>
		<u>150281355</u>	<u>135220114</u>

\*विलम्बित मूलधन पर उपार्जित ब्याज सहित।

\* Include interest accrued on overdue principal.

**अनुसूची - 5**
**स्थायी परिसम्पत्तियां (वर्ष 2007-2008 के लिये)**
**SCHEDULE - 5**
**FIXED ASSETS (For the year 2007-2008)**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

विवरण Description	सकल खण्ड Gross Block					मूल्यहास Depreciation					निवल खण्ड Net Block	
	मार्च 2007 तक	वर्ष में स्थाना-त्तरित	वृद्धि/समायो-जन	कमी/समायो-जन	मार्च 2008 तक	मार्च 2007 तक	वर्ष के दौरान प्रावधान	बेची गयी/रद्द की गयी/समायोजित की गयी मर्दे	वर्ष में स्थाना-त्तरित	मार्च 2008 तक	31.3.2008 को	31.3.2007 को
	Upto March, 2007	On transfer during the year	Of Addition/adjustments	Of deduction/adjustments	Upto March, 2008	Upto March, 2007	Provided during the year	Items sold/discarded/adjusted	On transfer during the year	Upto March, 2008	As at 31.3.2008	As at 31.3.2007
भूमि पट्टे पर Land - lease hold	20002	0	0	0	20002	4751	216	0	0	4967	15035	15251
भूमि स्वामित्व पर Land - free hold	24521	0	0	0	24521	0	0	0	0	0	24521	24521
सड़कें एवं पुलियां Roads and Culverts	15437	0	0	0	15437	11836	221	0	0	12057	3380	3601
भवन Buildings	191561	0	0	0	191561	153452	2030	0	0	155482	36079	38109
जल प्रणाली एवं निकासी Water System & Drainage	39622	0	0	0	39622	38024	272	0	0	38296	1326	1598
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विविध उपकरण Miscellaneous Equipment	7311	0	0	0	7311	6205	201	0	0	6406	905	1106
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture & Office Appliances	2551	0	0	0	2551	2533	0	0	0	2533	18	18
योग/Total	301005	0	0	0	301005	216801	2940	0	0	219741	81264	84204

## अनुसूची - 6

निपटान हेतु रखी गयी सेवामुक्त परिसम्पत्तियां (वर्ष 2007-2008 के लिये)

### SCHEDULE - 6

RETIRED ASSETS HELD FOR DISPOSAL (For the year 2007-2008)

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

विवरण Description	सकल खण्ड Gross Block					मूल्यहास Depreciation					निवल खण्ड Net Block	
	मार्च 2007 तक	वर्ष में स्थाना-न्तरित	वृद्धि/समायो-जन	कमी/समायो-जन	मार्च 2008 तक	मार्च 2007 तक	वर्ष के दौरान प्रावधान	बेची गयी/रद्द की गयी/समायोजित की गयी मदें	वर्ष में स्थाना-न्तरित	मार्च 2008 तक	31.3.2008 को	31.3.2007 को
	Upto March, 2007	On transfer during the year	Of Addition/adjustments	Of Deduction/adjustments	Upto March, 2008	Upto March, 2007	Provided during the year	Items sold/dis-carded/adjusted	On transfer during the year	Upto March, 2008	As at 31.3.2008	As at 31.3.2007
सड़के एवं पुलियां Roads and Culverts	16746	0	0	0	16746	13424	0	0	0	13424	3322	3322
भवन (सेवामुक्त) Buildings-Retired	184909	0	0	0	184909	165667	0	0	0	165667	19242	19242
जल प्रणाली एवं निकासी Water System & Drainage	122811	0	0	0	122811	112710	0	0	0	112710	10101	10101
रेलवे साइडिंग Railways sidings	68414	0	0	0	68414	61671	0	0	0	61671	6743	6743
संयंत्र एवं मशीनरी (सेवा मुक्त) Plant & Machinery (Retired)	10242773	0	0	0	10242773	7881536	0	0	0	7881536	2361237	2361237
विविध उपकरण (सेवा मुक्त) Misc. Equipment (Retired)	87567	0	0	0	87567	72236	0	0	0	72236	15331	15331
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture & Office Appliances	40530	0	0	0	40530	34936	0	0	0	34937	5593	5593
परिवहन गाड़ियां (सेवा मुक्त) Transport Vehicles (Retired)	9481	0	0	0	9481	7615	0	0	0	7615	1866	1866
योग/Total	10773231	0	0	0	10773231	8349795	0	0	0	8349796	2423435	2423435
सी.डब्ल्यू.आई.पी. (सेवामुक्त) CWIP (Retd.)	188533	0	0	0	188533	106849	0	0	0	106849	81684	81684
योग/Total	10961764	0	0	0	10961764	8456644	0	0	0	8456645	2505119	2505119

अनुसूची - 7

चालू पूंजीगत कार्य

SCHEDULE - 7

CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
लागत पर	AT COST		
फेब्रिकेटर्स के पास सामग्री	Materials with fabricators :	13	13
घटाएं : संदिग्ध स्थानापन्नो के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful replacements	13	13
		0	0
		0	0

अनुसूची - 8

पूंजीगत कार्यों के लिये ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम

**SCHEDULE - 8**

**ADVANCES TO CONTRACTORS/SUPPLIERS  
AGAINST CAPITAL WORKS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
असुरक्षित, संदिग्ध समझे गये	<b>Unsecured - Considered doubtful</b>		
आपूर्तिकर्ता	Suppliers	567	567
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful advances	567	567
		0	0

**अनुसूची - 9**

**निवेश**

**SCHEDULE - 9  
INVESTMENTS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
व्यापारोत्तर निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Non-trade Investments (At cost-Unquoted)		
* कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि. में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	* Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	15	15
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	Less : Provision for diminution in value of investments	10	10
		<u>5</u>	<u>5</u>
* 10 रुपये प्रत्येक के 501 शेयर 100 रुपये प्रत्येक के 50 शेयर 1000 रुपये प्रत्येक के 5 शेयर	* 501 Shares of Rs. 10/- each 50 Shares of Rs. 100/- each 5 Shares of Rs. 1000/- each		

अनुसूची - 10/SCHEDULE - 10  
वस्तु सूचियां/INVENTORIES

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
वस्तु सूचियां (प्रबंधन द्वारा ली गयी, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)	<b>Inventories (as taken, valued and certified by Management)</b>		
<b>कच्चा माल</b>	<b>Raw Materials</b>	18723	18723
घटाएं : कमी एवं अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence and shortages	10955	10955
		7768	7768
<b>पैकिंग सामग्री</b>	<b>Packing Materials</b>	3359	3359
घटाएं : कमी एवं अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence and shortages	238	238
		3121	3121
<b>स्टोर्स, अतिरिक्त पुर्जे, खुले औजार आदि</b> (4662 हजार रुपये मार्गस्थ, 27 हजार रुपये निरीक्षणधीन, गत वर्ष 4662 हजार रुपये तथा 27 हजार रुपये क्रमशः सहित)	<b>Stores, Spare Parts, Loose Tools etc.</b> (Including in-transit Rs. 4662 thousands, under inspection Rs. 27 thousands, previous year Rs. 4662 thousands, Rs. 27 thousands respectively)	575179	575188
घटाएं : कमी एवं अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence and shortage	173290	173290
		401889	401898
<b>तैयार माल</b>	<b>Finished Goods</b>	642	642
(डब्ल्यू बी एस डब्ल्यू सी, कोसिम बाजार, पश्चिम बंगाल में पड़े 629 हजार रुपये के जिप्सम सहित)	(Includes Gypsum worth Rs. 629 thousand lying with WBSWC, Cossim Bazar, West Bengal)		
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	Less : Provision for obsolescence	13	13
		629	629
<b>निपटान हेतु रखे स्क्रेप मदें</b>	<b>Scrap items held for disposal</b>	14431	14431
घटायें : प्रावधान	<b>Less: Provision</b>	4594	4594
		9837	9837
		423244	423253

अनुसूची - 11  
विविध देनदार  
**SCHEDULE - 11  
SUNDRY DEBTORS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>ऋण जो कि 6 महीने से अधिक अवधि से बकाया है</b>	<b>Debts outstanding for a period exceeding six months</b>		
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured-considered good	66054	63845
संदिग्ध समझे गये	Considered doubtful	216716	213871
योग	Total	<u>282770</u>	<u>277716</u>
<b>अन्य ऋण</b>	<b>Other Debts</b>		
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured-considered good	8215	8131
संदिग्ध समझे गये	Considered doubtful	3	3
योग	Total	<u>8218</u>	<u>8134</u>
योग	Total	<u>290988</u>	<u>285850</u>
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	216719	213874
		<u>74269</u>	<u>71976</u>
उपर्युक्त में शामिल हैं :	Included in the above are :		
(i) वापसी योग्य दावे	(i) Claims recoverable	32360	32360
(ii) कन्साइन्मेंट बिक्री के लेखे पर	(ii) On account of consignment sale	10756	10756

## अनुसूची - 12

### नकद एवं बैंक अधिशेष

### SCHEDULE - 12

### CASH AND BANK BALANCES

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
नकद जो हाथ में है	Cash in hand	422	369
अनुसूचित बैंकों में बकाया :	With Scheduled Banks in		
जमा खाता	Deposit Account	497239	545265
मार्जिन/प्रतिभूति रूप में मियादी जमा खाता	Fixed Deposit as margin/ security	4124	13496
नो लियन खाता (फ्लैक्सी जमा खाता)	No lien Account (flexi deposit)	155881	261447
चालू खाता	Current Accounts	32329	14410
मार्गस्थ प्रेषण राशि	Remittances in Transit	0	0
डाकघर में बचत खाते में जमा*	Deposit with post office in Savings Bank Accounts*	1731	1731
अनुसूचित बैंकों में कर्मचारी सुख सुविधा खाता निधि :	Workers' Amenities Accounts with Scheduled banks in		
बचत बैंक खाता	Savings Bank Accounts	0	0
चालू खाता	Current Accounts	544	544
मियादी जमा खाता	Fixed Deposits	3950	3663
उपार्जित ब्याज	Interest accrued	0	10
		4494	4217
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	17	901
		696237	841836

\* 1731 हजार रुपये उत्पाद विभाग के पास वायदे के रूप में जमा (गत वर्ष 1731 हजार रुपये)

\* Rs. 1731 thousands pledged with Excise Department. (Previous year Rs. 1731 thousands).

**अनुसूची - 13**
**ऋण एवं अग्रिम**
**SCHEDULE - 13**
**LOANS AND ADVANCES**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>ऋण</b>	<b>Loans</b>		
सुरक्षित खरे समझे गये : कर्मचारी	Secured-Considered good : Employees	33	33
असुरक्षित: खरे समझे गये	Unsecured-Considered good	0	0
कर्मचारियों के ऋण पर उपार्जित ब्याज *	Interest accrued on staff loans*	64	81
		<u>97</u>	<u>114</u>
<b>अग्रिम</b>	<b>Advances</b>		
नकद या वस्तु रूप या प्राप्ति योग्य मूल्य के रूप में अग्रिम	Advances recoverable in cash or kind or for value to be received	0	0
असुरक्षित-खरे समझे गये :	Unsecured-Considered good :		
ठेकेदार	Contractors	113	113
आपूर्तिकर्ता	Suppliers	18999	19011
कर्मचारी	Employees	583	929
अन्य	Others	7819	6027
जमाओं पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	0	0
उन कम्पनियों से जो समान प्रबन्धन के अन्तर्गत हैं	From Company under same Management	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>27514</u>	<u>26080</u>
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	0	0
पूर्व चुकता व्यय (खरे समझे गये)	Prepaid Expenses (Considered Good)	0	31
सीमा शुल्क विभाग, पोर्ट ट्रस्ट, विद्युत बोर्ड, अन्य सरकारी प्राधिकरणों तथा भविष्य निधि ट्रस्टी के पास जमा तथा स्रोत पर काटा गया आयकर (खरे समझे गये)	Deposits with Custom, Port Trust, Electricity Board, other Government authorities		
जमा पर उपार्जित ब्याज	Income tax deducted at source and PF Trustees (Considered Good)	6812	7674
परिसमापक के पास जमा (खरे समझे गये)	Interest Accrued on deposits	0	0
जमा जो संदिग्ध समझे गये	Deposits with Liquidator (Considered Good)	50000	50000
	Deposits Considered Doubtful	26242	27083
		<u>83054</u>	<u>84788</u>
घटाएं : संदिग्ध समझे गये जमा पर प्रावधान	Less : Provision for doubtful deposits	26242	27083
घटाएं : संदिग्ध समझे गये अग्रिम पर प्रावधान	Less : Provision for doubtful Advances	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>84423</u>	<u>83899</u>
कम्पनी के अधिकारियों और निदेशकों से लेने योग्य	Due from Directors and Officers of the Company	0	0
हमेशा अधिकतम बकाया	Maximum Balance due at any time	0	0
*सुरक्षित ऋणों पर उपार्जित ब्याज सहित।	* Includes interest accrued on secured loans.		

अनुसूची - 14

चालू देयताएं

SCHEDULE - 14

CURRENT LIABILITIES

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>चालू देयताएं</b>	<b>Current Liabilities</b>		
विविध लेनदार	Sundry Creditors		
पूंजीगत लेखों पर	On capital accounts	46451	52168
अन्य लेखों पर :	On other accounts :		
लघु औद्योगिक निगमों पर (एस.एस.आई.)	Small Scale Industrial Undertakings (SSI's)	362	362
अन्य	Others	<u>2184475</u>	<u>2260955</u>
		2231288	2313485
व्यापार जमा, बिक्री आदेशों के लिये अग्रिम तथा अन्य	Trade deposits, advances against sales orders and others	89558	89513
जीवन बीमा निगम पर गारंटी शुल्क	Guarantee fee on LIC	279405	279405
ठेकेदारों तथा अन्यो से प्राप्त प्रतिभूति एवं बयाने की राशियां	Security and Earnest Money deposit received from Contractors and others	224643	218282
अन्य देयताएं	Other Liabilities	12612	44276
कर्मचारी सुख सुविधा कोष	Workers' Amenities Fund	4326	4017
विशेष कल्याण योजना	Special Welfare Scheme	631	631
उपार्जित ब्याज पर देय नहीं :	Interest accrued but not due on:		
भारत सरकार के ऋणों पर	Government of India Loans	11234	62730
		<u>2853697</u>	<u>3012339</u>

**अनुसूची - 15**

**प्रावधान**

**SCHEDULE - 15  
PROVISIONS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
स्थायी परिसम्पत्तियों पर कमियों/हानियों के लिये	For shortages/losses in fixed assets	302	302
		<u>302</u>	<u>302</u>

**अनुसूची - 16**

**विविध व्यय**

(जिस सीमा तक न तो बट्टे खाते डाले गये न समायोजित किये गये)

**SCHEDULE - 16**

**MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

(To the extent not written off or adjusted)

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>आस्थागित राजस्व व्यय</b>	<b>Deferred Revenue Expenditure</b>		
मोहनगढ़ खान में विद्युत कनेक्शन लेने के लिये	For Installation of Electric connection at Mohangarh Mines	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

अनुसूची - 17

बिक्री

**SCHEDULE - 17  
SALES**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>I.</b>	<b>निर्मित उत्पाद</b>		
	उर्वरक	0	0
	औद्योगिक उत्पाद	0	0
	जिप्सम	0	0
	उपोत्पाद एवं अन्य	0	11
<b>II.</b>	<b>खरीदा गया उत्पाद:</b>		
	अन्य	0	0
		<u>0</u>	<u>11</u>

अनुसूची - 17 क  
बिक्री - उत्पादवार ब्यौरा  
**SCHEDULE - 17A**  
**SALES - PRODUCTWISE BREAK-UP**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008		2007	
		मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
<b>I. निर्मित उत्पाद</b>	<b>I. MANUFACTURED PRODUCTS</b>				
(क) उर्वरक	<b>A. Fertilizers</b>				
यूरिया	Urea	0	0	0	0
			0		0
(ख) औद्योगिक उत्पाद	<b>B. Industrial Products</b>				
नाइट्रिक एसिड	Nitric Acid	0	0	0	0
अमोनिया	Ammonia	0	0	0	0
अमोनियम नाइट्रेट :	Ammonium Nitrate				
दानेदार	Prilled	0	0	0	0
फ्लेक्स	Flakes	0	0	0	0
पिघला हुआ	Melt	0	0	0	0
यूरिया (टी.जी.)	Urea (T.G.)	0	0	0	0
नाइट्रोजन तरल (लिटर्स)	Nitrogen Liquid (Litres)	0	0	0	0
आक्सीजन (एनएम <sup>3</sup> )	Oxygen NM <sup>3</sup>	0	0	0	0
अमोनियम बाई कार्बोनेट	Ammonium Bicarbonate	0	0	0	0
			0		0
(ग) जिप्सम	<b>C. Gypsum</b>	0	0	0	0

(जारी)/(Continued)

अनुसूची - 17 क (जारी)

बिक्री - उत्पादवार ब्यौरा

**SCHEDULE - 17A (Continued)**

**SALES - PRODUCTWISE BREAK-UP**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008		2007	
		मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
<b>(घ)</b>	<b>उपोत्पाद एवं अन्य</b>	<b>D.</b>	<b>By-Products &amp; others</b>		
	कार्बन स्लरी	Carbon Slurry	0	0	0
	प्रक्रिया जल (एम <sup>3</sup> )	Process Water M3	0	0	0
	कार्बन डाई आक्साइड (एम <sup>3</sup> )	Carbon Di-oxide M3	0	0	0
	आक्सीजन (एनएम <sup>3</sup> )	Oxygen NM3	0	0	0
			0	0	0
<b>II.</b>	<b>खरीदे गये उत्पाद</b>	<b>II.</b>	<b>Bought out Products</b>	0	0
<b>III.</b>	<b>कच्चा माल</b>	<b>III.</b>	<b>Raw Materials</b>		
	एस. जी. पी. कोयला	SGP Coal	0	0	0
	एफ. ओ.	F.O.	0	0	
	बैग	Bags	0	0	
	रसायन	Chemicals		0	
			0	0	0

अनुसूची - 18

अन्य आय

**SCHEDULE - 18  
OTHER INCOME**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
किराये आदि की उगाही	Recovery of rent etc.	38380	19818
टीडीएस शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)	TDS Rs. Nil (previous year Nil)		
ब्याज (सकल) - (टीडीएस-शून्य)	Interest (Gross) (TDS - Nil)		
बैंक जमा	Bank Deposits	55394	57930
कर्मचारी ऋण एवं अन्य	Staff Loans & others	995	966
नो लीन खाते पर	On No Lien Account	1488	3320
प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	Value of services rendered	545	451
विविध आय	Miscellaneous Income	1007	14248
अधिक प्रावधान तथा वापिस लिखा गया क्रेडिट शेष	Excess provision and credit Balances written back	10339	12432
		108148	109165

**अनुसूची - 19**
**अन्तिम स्टाक**
**SCHEDULE - 19  
CLOSING STOCK**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
तैयार माल	Finished Goods	642	642
निपटान हेतु रखे गये स्क्रेप मदें	Scrap items held for disposal	14431	14431
		15073	15073

**अनुसूची - 19 क**
**अन्तिम स्टाक - तैयार माल का उत्पादवार ब्यौरा**
**SCHEDULE - 19A  
CLOSING STOCK-PRODUCTWISE BREAK-UP  
FINISHED GOODS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008		2007	
		मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
<b>तैयार माल (निर्मित)</b>	<b>Finshed Goods (Manufactured)</b>				
यूरिया	Urea	1.634	13	1.634	13
जिप्सम	Gypsum	598.9	629	598.9	629
		642	642	642	642

टिप्पणी : 629 हजार रुपये का जिप्सम डब्ल्यू.बी.एस.डब्ल्यू.सी., कौसिम बाजार, पश्चिमी बंगाल के पास पिछले 6-7 वर्ष से रखा है। सी.डब्ल्यू.सी. ने जिप्सम हटाने की अनुमति नहीं दी थी। इस प्रकार कम्पनी ने बकाया 14.98 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया है।  
Gypsum valuing Rs. 629 thousand is lying with WBSWC, Cossim Bazar, West Bengal for the last 7-8 years. CWC had not allowed removal of the gypsum. Accordingly the company has not paid their outstanding dues of Rs. 14.98 lakhs.

अनुसूची - 20  
आरम्भिक स्टाक  
SCHEDULE - 20  
OPENING STOCK

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
तैयार माल/जिप्सम	Finshed Goods / Gypsum	642	642
अर्द्ध तैयार/मध्यवर्ती उत्पाद	Intermediate/semi-finished products	0	0
उपोत्पाद	By-Products	0	0
स्क्रेप	Scrap	14431	14431
		<u>15073</u>	<u>15073</u>

**अनुसूची - 20 क**
**आरम्भिक स्टाक - तैयार माल का उत्पादवार ब्यौरा**
**SCHEDULE - 20A**
**OPENING STOCK - PRODUCTWISE BREAK-UP**
**FINISHED GOODS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

	2008		2007	
	मात्रा इकाई मी.टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
<b>तैयार माल (निर्मित)</b>	<b>Finshed Goods (Manufactured)</b>			
यूरिया	Urea	0	0	0
अमोनियम नाइट्रेट	Ammonium Nitrate			
दानेदार	Prilled	0	0	0
फ्लेक्स	Flakes	0	0	0
पिघला हुआ	Melt	0	0	0
अमोनियम बाई कार्बोनेट	Ammonium Bi-carbonate	0	0	0
जिप्सम	Gypsum	598.9	629	598.9
<b>तैयार माल (खरीदा गया)</b>	<b>Finshed Goods (Bought out)</b>			
यूरिया	Urea	1.634	13	1.634
अमोनियम सल्फेट (एफएसीटी)	Ammonium Sulphate (FACT)	0	0	0
		642		642

अनुसूची - 21

तैयार माल की खरीद

SCHEDULE - 21

PURCHASE OF FINISHED GOODS

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008		2007	
		मात्रा इकाई मी.टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
जिंक सल्फेट	Zinc Sulphate	0	0	0	0
			0		0

**अनुसूची - 22**
**सामग्री की खपत**
**SCHEDULE - 22**
**MATERIALS CONSUMED**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>कच्चा माल</b>	<b>Raw Materials</b>		
आरंभिक स्टाक	Opening Stock	18723	18723
क्रय/समायोजन (अन्तर एकक स्थानान्तरण एवं प्रोजेक्ट से स्थानान्तरण)	Purchases/adjustments (Including Inter-Unit transfer and transfer from projects)	0	0
		18723	18723
घटाएं : अन्तिम स्टाक	Less: Closing Stock	18723	18723
योग	Total	0	0
<b>पैकिंग सामग्री</b>	<b>Packing Materials</b>		
आरंभिक स्टाक	Opening Stock	3359	3359
क्रय	Purchases	0	0
		3359	3359
घटाएं : अन्तिम स्टाक	Less: Closing Stock	3359	3359
योग	Total	0	0
<b>स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे</b>	<b>Stores and Spares</b>		
आरंभिक स्टाक	Opening Stock	570354	571950
क्रय (अन्तर एकक स्थानान्तरण सहित)	Purchases (Including Inter-Unit transfers)		
पूर्व अवधि समायोजन	Prior period adjustment	0	-1587
		570354	570363
घटाएं : अन्तिम स्टाक	Less: Closing Stock	570354	570354
योग	Total	0	9
कुल योग	Grand Total	0	9
घटाएं : पूंजीगत व्यय, विद्युत एवं ईंधन, मरम्मत, कल्याण व्यय और अन्तर-एकक बिक्री को स्थानान्तरित :	Less: Transferred to capital expenditure, power & fuel, repairs, welfare expenses and inter-unit sales:		
पैकिंग सामग्री	Packing Materials	0	0
स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे	Stores & Spares	0	0
योग	Total	0	0
<b>निवल उपभोग</b>	<b>Net Consumption</b>	0	9

अनुसूची - 22 क

कच्चे माल की खपत का मदवार ब्यौरा

**SCHEDULE - 22A**

**ITEM-WISE BREAK-UP OF RAW MATERIALS CONSUMED**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008		2007	
		मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value	मात्रा इकाई मी. टन Quantity Unit MT	मूल्य Value
वाष्प कोयला	Steam Coal	0	0	0	0
भट्टी तेल/एल.एस.एच.एस. (के.एल.)	Furnace Oil/LSHS (KL)	0	0	0	0
विद्युत कोयला	Power Coal	0	0	0	0
			0		0

**अनुसूची - 23**

वेतन, मजदूरी, बोनस तथा कर्मचारियों को अन्य लाभ

**SCHEDULE - 23**

**SALARIES, WAGES, BONUS AND OTHER  
BENEFITS TO EMPLOYEES**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
वेतन, मजदूरी तथा बोनस	Salaries, Wages & Bonus	11349	11083
भविष्य निधि अंशदान	Provident Fund Contribution	685	665
आनुतोषिक	Gratuity	1395	10875
वी.एस.एस. खर्चा	VSS Expenditure	456	177637
कामगार एवं कर्मचारी कल्याण व्यय	Workmen & Staff Welfare Expenses	1789	2196
एफ. सी. आई. एल. के अंतर्गत फैमिली पेंशन (एफ.पी.एस.)	Family pension under FCIL (FPS)	0	0
		<u>15674</u>	<u>202456</u>
घटाएं : पूंजीगत एवं अन्य लेखों को स्थानान्तरित	Less: Transferred to capital and other accounts	0	0
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त ग्रांट-इन-एड	Grant-in-Aid received for Voluntary Retirement Compensation	0	0
		<u>15674</u>	<u>202456</u>

अनुसूची - 24

मरम्मत एवं अनुरक्षण

SCHEDULE - 24

REPAIRS AND MAINTENANCE

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
मशीनरी	Machinery	178	268
भवन	Buildings	280	287
अन्य	Others	1962	1891
		<u>2420</u>	<u>2446</u>

**अनुसूची - 25**
**अन्य व्यय**
**SCHEDULE - 25  
OTHER EXPENSES**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		<b>2008</b>	<b>2007</b>
किराया	Rent	1016	1041
कर एवं दरें	Rates and Taxes	4495	4611
फ्रिंज बनिफिट टैक्स	FBT	306	293
बीमा	Insurance	1153	1360
अन्य कम्पनियों/इकाइयों द्वारा प्रदत्त सेवाएं	Services rendered by other Companies/Units	0	0
निदेशकों का यात्रा व्यय	Directors Travelling Expenses	8	13
यात्रा व्यय	Travelling Expenses	1681	1880
मनोरंजन व्यय	Entertainment Expenses	75	75
सेवानिवृत्ति परिवहन भत्ता व्यय	Retirement T.A. Expenses	100	0
प्रतिधारितों को भुगतान	Retainers' payment	987	896
बिक्री के दौरान कमी तथा बढ़ते खाते डाली गयी सामग्री/तैयार माल	Loss on sales and write off of materials and finished goods	0	0
उत्खनन और जिप्सम के परिवहन पर व्यय	Expenditure on excavation and transportation of Gypsum	0	0
बिक्री पर छूट / कटौती	Rebate/Discount on sales	0	0
गारन्टी शुल्क	Guarantee Fee	0	0
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges on NOIDA Land	426	426
सीआईएसएफ/अन्य सुरक्षा सेवाओं पर व्यय	Expenditure on CISF/ Other Security Services	29531	27581
अन्य व्यय	Miscellaneous Expenses	15469	10307
योग	Total	<u>55247</u>	<u>48483</u>

अनुसूची - 26

ब्याज

**SCHEDULE - 26  
INTEREST**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
भारत सरकार के ऋणों पर	Loans from Government of India	4753497	4747927
ब्याज : अन्य	Interest (others)	50892	25246
जुर्माना ब्याज :	Penal Interest :		
भारत सरकार के ऋणों पर	On GOI Loan	10256248	9263425
		<u>15060637</u>	<u>14036598</u>

**अनुसूची - 27**
**बढ़े खाते डाली गयी विशिष्ट मदें**
**SCHEDULE - 27**
**EXTRA ORDINARY ITEMS WRITTEN OFF**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>जोड़ें : व्यय</b>	<b>Add: Expenditure</b>		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर व्यय	Expenditure on Voluntary Retirement Scheme	0	0
स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यों में कमी के लिये प्रावधान	Provision for diminution in value of stores and spares	0	0
कच्चे माल के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	Provision for diminution in value of raw materials	0	0
सम्पत्तियों तथा पूंजीगत चालू कार्य के मूल्य में कमी का प्रावधान	Provision for diminution in value of assets and Capital Work in Progress (CWIP)	0	0
आदेशों की बिक्री के रद्द हो जाने से विक्रेताओं को क्षतिपूर्ति का प्रावधान	Provision for compensation to vendors for cancellation of orders	0	0
सम्पत्ति के मूल्य में कमी का प्रावधान	Provision for diminution in value of assets	0	0
डी मर्जर योजना के लिये कुशलता प्रभार	Professional charges for Demerger Scheme	0	0
सामग्री के बिक्री पर हानि	Loss on sale of materials	0	0
बढ़े खाते डाले गये विविध व्यय	Miscellaneous Expenditure Written off	0	0
पूंजीगत चालू कार्य को बढ़े खाते डालना	Write off of Capital Work in Progress	0	0
स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों को बढ़े खाते डालना	Write off of Store and Spares	0	0
निर्माण के दौरान व्यय :	Expenditure during Construction		
बढ़े खाते डालना	Korba Written off	0	0
<b>योग (क)</b>	<b>Total : (A)</b>	0	0

(जारी)/(Continued)

अनुसूची - 27 (जारी)

बढ़े खाते डाली गयी विशिष्ट मदें

**SCHEDULE - 27 (Continued)**

**EXTRA ORDINARY ITEMS WRITTEN OFF**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

		2008	2007
<b>घटाएं : आय</b>	<b>Less: Income</b>		
कन्सोर्टियम बैंको के साथ एकमुश्त समझौते का वापिस लिखना	Write back on account of : One time settlement with consortium bank	0	0
सार्वजनिक उपक्रमों के ब्याज को बढ़े खाते डालना	Write off of interest by Public Sector Unertaking (PSU)	0	0
सार्वजनिक उपक्रमों के ऋण के मूल को बढ़े खाते डालना	Write off of loan principal by PSU	0	0
उत्पाद शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि की देयताओं को बढ़े खाते डालना	Write back of Liab. of Custom duty port rent etc.	0	0
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of assets	0	0
देयताओं को वापिस लिखना	Write back of liabilities	0	0
<b>योग (ख)</b>	<b>Total : (B)</b>	0	0
<b>निवल (क ख)</b>	<b>NET (A – B) :</b>	0	0

**अनुसूची - 28**
**पूर्व अवधि समायोजन**
**SCHEDULE - 28**
**PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS**

(रु. '000 में)/(Rs. in 000's)

	2008	2007
<b>व्यय :</b>		
सामग्री की खपत/पुनर्वापसी	0	1587
वेतन, मजदूरी, बोनस एवं आनुतोषिक	4272	17
विद्युत एवं ईंधन	0	0
भाड़ा एवं उठाई-धराई प्रभार	0	0
मरम्मत एवं रख-रखाव	0	0
अन्य व्यय (विविध)	1013	2834
मूल्यहास	0	395
ब्याज (एफ आई सी सी)	0	0
ब्याज (अन्य)	0	0
उत्पाद शुल्क	19	14315
नोएडा भूमि पर जुर्माना खर्चा	0	1716
गारंटी शुल्क	0	159918
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	0	0
	5304	180782
<b>आय :</b>		
प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत		
मूल्य समर्थन	0	0
प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	0	0
अधिक के लिये प्रावधान/देयताएं एवं जमा शेष वापिस लिखना	0	0
एसएसपी की खरीद	0	0
विविध आय	124	793
भारत सरकार के ऋण पर जुर्माना ब्याज	0	80302
ब्याज : अन्य	216	0
	340	81095
<b>निवल व्यय/(आय)</b>	4964	99687

अनुसूची - 29

SCHEDULE—29

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2008 को तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये लाभ हानि लेखा का भाग है

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2008

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.0 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

1.0 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

1.1 वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत बनाये गये हैं एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार हैं तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप हैं और कम्पनी के द्वारा अंगीकृत विधानों के अनुसार हैं। यह “चालू कम्पनी नहीं” के रूप में बनाये गये हैं।

1.1 The Financial Statements have been prepared under the Historical Cost Convention in accordance with the generally accepted accounting principles and the provisions of the Companies Act, 1956 as adopted consistently by the Corporation. The same is prepared on not going concern basis.

1.2 कुछ विशिष्ट मदों को छोड़कर, जिनके बारे में लेखा नीतियों में अन्यत्र उल्लेख किया गया है, निगम लेखा की वाणिज्यिक पद्धति का अनुसरण करता है।

1.2 The Corporation follows mercantile system of accounting except for items specified elsewhere in the Policy.

2.0 स्थायी परिसम्पत्तियां

2.0 FIXED ASSETS

2.1 स्थायी परिसम्पत्तियों को उनके अर्जन लागत पर लिया जाता है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं।

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight duties & taxes and incidental expenses related to acquisition.

2.2 परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है।

2.2 Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

2.3 राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण पर हुए आकस्मिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

2.3 Land given free by state Governments and other authorities is capitalized at normal cost and/or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition in accordance with the guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India.

2.4 उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

2.4 Machinery spares whose use is expected to be irregular and could be identified with a plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard - 2 (Revised).

3.0 व्यय का पूंजीकरण

3.0 CAPITALISATION OF EXPENDITURE

3.1 पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान किये गये राजस्व प्रकृति के व्ययों जैसे वेतन तथा मजदूरी, बीमा,

3.1 Revenue expenditure incurred in due course of implementation of capital projects, such as

मरम्मत आदि जो कि इन परियोजनाओं व योजनाओं से संबंधित/आबंटनीय हैं को इनके वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने तक पूंजीकृत कर लिया जाता है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले की प्रासंगिक आय को योजना/परियोजना की लागत के साथ समायोजित कर लिया जाता है।

3.2 प्रमुख/महत्वपूर्ण उपकरणों के नवीकरण/स्थानापन्न पर आय व्यय को जिसमें उपकरण की संभावित आयु तथा परिचालन की दक्षता बढ़ने की संभावना हो को पूंजीकृत कर लिया जाता है। स्थानापन्न मद का मूल लागत या अनुमानित तकनीकी मूल्यांकन (इसके स्थानापन्न के समय) को स्थायी परिसम्पत्ति में से घटा दिया जाता है।

#### 4.0 सेवा मुक्त संयंत्र एवं मशीनरी

जिस वर्ष पुराने संयंत्र/मशीनरी को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया जाता है उसी वर्ष (यदि पहले न किया गया हो) संयंत्र एवं मशीनरी को मूल्यहासित कर दिया जाता है तथा मूल लागत/अनुमानित तकनीकी मूल्यांकनों एवं मूल्यहास रिजर्व को सेवामुक्त परिसम्पत्ति को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ऐसे संयंत्रों पर लाभ/हानि का उस संयंत्र की बिक्री/निपटान के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

#### 5.0 उत्प्रेरक

संयंत्र के चालू होने के समय पर जारी किये गये उत्प्रेरकों को पूंजीकृत कर लिया जाता है। बाद में जोड़े गये उत्प्रेरकों को उनकी संभावित आयु के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है। असाधारण स्थानापन्न की स्थिति में मूल्य में अन्तर को स्थानापन्न के वर्ष में बड़े खाते डाल दिया जाता है।

#### 6.0 मूल्यहास

6.1 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को जोड़े जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।

6.2 स्थायी परिसम्पत्तियों (बाद में जोड़ी गयी परिसम्पत्तियों सहित) पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित अनुसूची XIV के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि की दरों से लगाया जाता है।

salaries and wages, insurance, repairs etc. relatable / allocable to such projects and schemes till commencement of commercial production are capitalized. Incidental income prior to commencement of commercial production is set off against the cost of the project/scheme.

3.2 Expenditure on renewal and replacement of major / critical equipments resulting in increase in expected life of the equipment and efficiency of operation is capitalized. Original cost or estimated technical valuation of the items replaced (at the time of its installation) is reduced from the Fixed Assets.

#### 4.0 RETIRED PLANTS AND MACHINERY

Plant and Machinery is depreciated up to net realisation value as per technical evaluation (if not already done) in the year in which decision regarding retirement of plants and machinery is taken, and the original cost / estimated technical valuation and depreciation reserve are transferred to retired assets. Profit/loss on such plants is booked in the year of sale / disposal.

#### 5.0 CATALYSTS

Catalysts issued at the time of commissioning the plants are capitalized. Subsequent additions are charged to revenue on the basis of their estimated life. In case of premature replacement the difference in value is written off in the year of replacement.

#### 6.0 DEPRECIATION

6.1 Assets costing up to Rs.5000 are fully depreciated in the year of addition.

6.2 Depreciation on fixed assets (including subsequent additions) is charged on straight-line method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

<p>6.3 संयंत्र एवं मशीनरी को उसकी मूल लागत से 95% तक मूल्यहासित कर दिया जाता है।</p> <p>6.4 पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात ऋणमुक्त कर दिया जाता है।</p> <p><b>7.0 वस्तुसूचियां</b></p> <p>7.1 कच्चे माल एवं पैकिंग सामग्री की लागत मासिक भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो कम हो, पर आंकी जाती है।</p> <p>7.2 स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जों के स्टॉक की लागत गतिशील मासिक भारित औसत पर आंकी जाती है।</p> <p>7.3 तैयार/अर्द्ध तैयार माल के स्टॉक का मूल्य कम लागत पर/निवल वसूली योग्य मूल्य पर आंका जाता है।</p> <p>7.4 उपोत्पाद के स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य पर आंका जाता है। प्रक्रिया में सामग्री, कोयले की राख का स्टॉक, कार्बन स्लरी तथा कार्बन डाइ-आक्साइड का मूल्य शून्य है।</p> <p>7.5 जिस सीमा तक स्टॉक यार्ड में प्राप्त हो, स्क्रैप को अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर लेखित किया जाता है।</p> <p>7.6 खुले औजारों को तीन वर्ष के पश्चात बड़े खाते डाल दिया जाता है।</p> <p><b>8.0 कमियों/वृद्धियों का समायोजन</b></p> <p>कमियों/वृद्धियों का समायोजन भौतिक सत्यापन के दौरान कच्चे माल/मध्यवर्ती उत्पाद/पैकिंग सामग्री तथा तैयार माल के स्टॉक आदि के ग्राउन्ड अधिशेषों में पायी गयी कमियों/वृद्धियों (इसमें तैयार माल की वापिसी न होने वाली मार्गस्थ हानियां भी शामिल हैं) को खपत में प्रभारित कर दिया जाता है।</p> <p><b>9.0 बिक्री</b></p> <p>बिक्री को प्रेषण के आधार पर लेखित किया जाता है। सब्सिडी को फैक्टरी से किये गये प्रेषणों के आधार पर आंका जाता है परन्तु सब्सिडी का क्रेडिट उस मात्रा की बिक्री के बाद ही लेखों में लिया जाता है।</p>	<p>6.3 Plant and machinery is depreciated upto 95% of its original value.</p> <p>6.4 Lease hold land is amortized over the period of lease.</p> <p><b>7.0 INVENTORIES</b></p> <p>7.1 Stocks of raw materials and packing materials are valued based on monthly weighted average cost or net realizable value whichever is lower.</p> <p>7.2 Stocks of stores and spare parts are valued based on moving / monthly weighted average cost.</p> <p>7.3 Stocks of finished / semi-finished goods are valued at lower of cost / net realisable value.</p> <p>7.4 Stocks of by-products are valued at net realizable value. Material in process, stocks of coal ash, carbon slurry and carbon di-oxide is valued at nil.</p> <p>7.5 Accounting for scrap to the extent received in the stockyard, is done at estimated realisable value.</p> <p>7.6 Loose tools are written off over a period of three years.</p> <p><b>8.0 ADJUSTMENT OF SHORTAGE / EXCESS</b></p> <p>Shortage/excess of raw materials /intermediate products /packing materials and finished stocks arising from physical verification of ground balance (as well as non-recoverable transit loss of finished goods) are charged to consumption.</p> <p><b>9.0 SALES</b></p> <p>Sales are accounted for on the basis of dispatches. Subsidy is accounted for on the basis of dispatches from the factory. However, credits for subsidy in the account is taken only for the quantities sold.</p>
---	--

<p><b>10.0 निगम के दावे</b></p> <p>10.1 मार्गस्थ सामग्री के लिये दावेदारों तथा रेलवे के दावों को रेलवे से कमी के प्रमाण पत्र के आधार पर दावे करने के वर्ष में लेखित किया जाता है।</p> <p>10.2 खरीददारों पर ब्याज को मान्यता तभी दी जाती है जब उनकी वसूली के बारे में महत्वपूर्ण संदिग्धता न हो।</p> <p><b>11.0 पूर्व चुकता व्यय</b></p> <p>25,000 रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह किये गये हों।</p> <p><b>12.0 सेवानिवृत्त लाभ</b></p> <p>आनुतोषिक तथा छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।</p> <p><b>13.0 आस्थगित राजस्व व्यय</b></p> <p>इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के वर्ष से पाँच वर्षों तक के बिक्री संवर्धन एवं स्टाफ प्रशिक्षण पर निर्माण के दौरान खर्चा बट्टे खाते डाल दिया जाता है।</p> <p><b>14.0 विदेशी मुद्रा विनिमय</b></p> <p>विदेशी मुद्रा सौदों को सौदों की तिथि पर लागू विनिमय दरों के आधार पर लेखित किया जाता है। विनिमय दरों में आये उतार-चढ़ाव के कारण हुए लाभ/हानि को उसी अवधि में लाभ एवं हानि में लिया जाता है जब वह हुई हों केवल स्थायी परिसम्पत्तियों को छोड़कर जहाँ पर विनिमय दरों में परिवर्तन को स्थायी परिसम्पत्ति के आगे ले जायी गयी (कैरिंग) राशि के साथ समायोजित किया जाता है।</p> <p><b>15.0 विविध</b></p> <p>15.1 जहाँ कहीं भी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं, रेलवे एवं अन्यो से बिल/मांग प्राप्त नहीं हुई हो, परिसम्पत्ति को पूंजीकृत कर लिया जाता है तथा व्यय को प्रावधानात्मक/अनुमानित आधार पर लेखित किया जाता है।</p>	<p><b>10.0 CLAIMS OF THE CORPORATION</b></p> <p>10.1 Claims on underwriters and railways for goods in transit based on the shortage certificate from the Railways are accounted for in the year of lodgment of claims.</p> <p>10.2 Interest from customers is recognized when no significant uncertainty as to its realization exists.</p> <p><b>11.0 PREPAID EXPENSES</b></p> <p>Prepaid expenses up to Rs.25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.</p> <p><b>12.0 RETIREMENT BENEFITS</b></p> <p>Liability for gratuity and encashable leave is provided on actuarial basis.</p> <p><b>13.0 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b></p> <p>Expenditure incurred on sales promotion and staff training during construction period is written off over five years from the year in which the unit commences commercial production.</p> <p><b>14.0 FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS</b></p> <p>Transactions in foreign currency at the exchange are accounted at rate prevailing on the date of transaction. Gains / losses arising out of fluctuations in the exchange rates are recognised in profit and loss in the period in which they arisen except in respect of fixed assets where exchange variance is adjusted in the carrying amount of the respective Fixed Asset.</p> <p><b>15.0 MISCELLANEOUS</b></p> <p>15.1 Wherever bills / demands from contractors, suppliers, railways and others have not been received, the assets have been capitalized / expenditure booked on provisional / estimated basis.</p>
--	--

- 15.2 बैंक द्वारा आधिक्य ऋण (एक्सेस क्रेडिट) (निवल) की देयता को 12 वर्ष के लिये रख लिया जाता है। ऐसे ऋणों पर ब्याज को 3 वर्षों के लिये रखा जाता है। उसके बाद इसे मूलधन सहित चालू वर्ष की आय में रख लिया जाता है तथा आकस्मिक देयताओं में सम्मिलित कर लिया जाता है।
- 15.2 Liability for excess credits (Net) wherever given by the Bank, is retained for 12 years. Interest on such credits is retained for a period of 3 years. Thereafter excess provision along with principal is reversed as current year income and included in Contingent Liability.
- ख. लेखों पर टिप्पणियां, 2007-2008**
- B. NOTES TO ACCOUNTS 2007 - 2008**
- 1.1 31.3.2008 को निगम की कुल संचित हानि 1567917 लाख रुपये हो गयी जोकि निगम की कुल प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित 75210 लाख रुपये से अधिक हो गयी है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिका) 1985 में संशोधन के फलस्वरूप निगम इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र में आ गया तथा इसी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत इसे औद्योगिक एवं वित्तीय संरचना बोर्ड (बी.आई. एफ.आर.) को 20.4.1992 को संदर्भित कर दिया गया था तथा बी.आई.एफ.आर. की 6.11.1992 को हुई सुनवाई में निगम को रुग्ण घोषित कर दिया गया था।
- 1.1 The accumulated loss of the Corporation as on 31.3.2008 aggregating Rs.1567917 lakh exceeds its paid up capital and free reserves aggregating Rs.75210 lakh. Consequent to amendments in the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA), 1985, the Corporation had come within the purview of the said Act and a reference under Section 15 of the Act was made to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) on 20.4.1992 and the Corporation was declared sick in the BIFR hearing held on 6.11.1992.
- 1.2 अंततः बी.आई.एफ.आर. ने अपने दिनांक 17.5.2004 के आदेश में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की तथा अपना मत दिल्ली उच्च न्यायालय को 27.5.2004 को अग्रपिहित कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय (कम्पनी क्षेत्राधिकार) ने इसे केस सं. 183/2004 में पंजीकृत कर लिया है और मामला अभी अनिर्णीत है। लेकिन उच्च न्यायालय के निदेशानुसार पाँच करोड़ रुपये शासकीय परिसमापक के पास लेनदारों के देयताओं को निपटाने के लिये जमा करा दिया है। अगली सुनवाई 15.05.2008 को थी लेकिन यह 17.11.2008 तक के लिये स्थगित कर दी गयी है ताकि निगम, अपनायी गयी पुनरुज्जीवन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।
- 1.2 Finally vide orders dated 17.5.2004 the BIFR recommended for winding up of the Company and forwarded its opinion to the Delhi High Court on 27.5.2004. The Hon'ble Delhi High Court (Company Jurisdiction) has since taken note of the same under case No.183/2004 and the matter is still pending, however as per direction of High Court an amount of Rs. 5 crore has been deposited with Official Liquidator to settle the dues of creditors. The last date of hearing was 15.05.2008. However this has been deferred upto 17.11.2008 for submission of progress report for revival process adopted by the Corporation.
- 2.0 कम्पनी के लेखे चालू कम्पनी नहीं के रूप में बनाये गये हैं। एककों एवं कार्यालयों जिनको बन्द करने के लिये स्वीकृति मिल गयी है प्रयोग में (टाउनशिप की स्थायी परिसम्पत्तियों को छोड़कर) की स्थायी परिसम्पत्तियों को निपटान हेतु रखी परिसम्पत्तियां दिखाकर उन्हें कम बही मूल्य या निबल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित पर अलग से अनुसूची - 6 में सेवामुक्त परिसम्पत्तियां, के रूप में दर्शाया गया है।
- 2.0 The accounts of the Corporation have not been prepared on going concern basis. Fixed assets of the units and offices approved for closure (except assets pertaining to township) have been indicated as assets held for disposal and valued at lower of the book value or net realizable value and are shown separately in Schedule 6 of Retired Assets held for disposal.

2.1 खतरनाक तथा खराब होने वाली मदों का निपटान कर दिया गया तथा इसके बारे में बी.आई.एफ.आर./उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया गया। इस निपटान से प्राप्त राशि को बैंक में “नो-लियन बैंक खाते” में डाल दिया गया है।

### 3.0 आकस्मिक देयताएं

3.1 आकस्मिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं है :

	(रु. लाख में)	
	2008	2007
निगम पर दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है (जिस सीमा तक पता चला):		
क. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य मांगों अपील किये गये मामलों सहित	1152	1152
ख. बिक्री कर, आयकर की मांगें जिसमें अपील से होने वाले समझौते का ब्याज शामिल नहीं है	2318	2318
ग. ठेकेदारों तथा अन्यो की मांगों, जिसमें मध्यस्थों/वार्ताओं/न्यायालय के समक्ष, भी शामिल हैं	1620	4077

### 4.0 स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

4.1 1031.780 एकड़ भूमि (तलचर में 7.780 एकड़ भूमि तथा कोरबा में 1024 एकड़ भूमि) (गत वर्ष 1031.780 एकड़) के बारे में करारों/वैधानिक औपचारिकताओं का होना अभी बाकी है।

4.2 राज्य सरकार द्वारा आबंटित सिन्दरी में 112 एकड़ भूमि सम्मिलित है जिसका अधिपत्य निगम को हस्तांतरित नहीं हुआ है।

4.3 कोरबा में 900 एकड़ भूमि (मूल्य पर विचार नहीं किया गया) सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों से निशुल्क प्राप्त हुई है जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 258 एकड़ भूमि सी.एस.ई.बी. को आबंटित कर दी गयी है।

2.1 In pursuance to the Government's orders for closure, hazardous and perishable items have been disposed off, for which BIFR/High Court has been kept informed. Funds realized from disposal of these items are being kept in a "no-lien bank account".

### 3.0 CONTINGENT LIABILITIES

3.1 Contingent Liabilities not provided for:

	(Rs. in lakh's)	
	2008	2007
Claims on the Corporation not acknowledged as debts (to the extent ascertained)		
A. For excise, custom duty and other demands including matters under appeal	1152	1152
B. For sales tax / income tax demands excluding interest that may fall due in settlement of appeals	2328	2318
C. From contractors and others including under arbitration / negotiation / before courts	1620	4077

### 4.0 FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

4.1 Agreements/legal formalities remains to be executed with regard to 1031.780 acres of land (at Talcher 7.780 acres and at Korba 1024 acres) (previous year 1031.780 acres).

4.2 Land includes 112 acres at Sindri allotted by the State Government for which the possession still to be handed over to the Corporation.

4.3 Land measuring 900 acres at Korba (value not considered) has been received free of cost from Government and other authorities, out of which 258 acres land have been allotted to CSEB by the State Govt.

- |  |  |
|--|--|
| <p>4.4 गोरखपुर में उत्तरप्रदेश सरकार ने निगम को इसकी परियोजना के लिये भूमि आबंटित की थी जिसमें से 40% का भुगतान कर दिया था शेष 60% जिसका मूल्य 32.67 लाख रुपये हैं (गत वर्ष 32.67 लाख रुपये) निगम को उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी को लेखों में नहीं लिया गया है।</p>  | <p>4.4 At Gorakhpur, cost of land represents only 40% of the value and balance 60% was gifted by the State Government amounting Rs.32.67 lakh not accounted for.</p>   |
| <p>4.5 गोरखपुर में राज्य सरकार के पास 546 मकानों को सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सहायता के बदले में बंधक रखा गया था। निगम को बन्धक निरमुक्ति दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुए हैं जबकि यह बन्धकनामा समाप्त हो गया है।</p>   | <p>4.5 At Gorakhpur, 546 quarters have been mortgaged to the State Government against subsidy received under the subsidized industrial housing Scheme. Corporation is yet to obtain release of mortgage deed which has expired.</p>  |
| <p>4.6 बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 17.5.2004 के आदेश के अंतर्गत जारी बंद करने के आदेश के अनुसार तथा भूमि की स्थिति, जैसा कि लेखा बहियों में लेखित है के संबंध में राज्य/केन्द्र सरकार से कोई निदेश न मिलने के कारण, इस संबंध में लेखा समायोजन आवश्यक नहीं समझा गया है। आगे जैसा कि 4.1 से 4.5 उपर्युक्त में कहा गया है, यह ज्ञात नहीं है कि मामलों की क्या परिणति होगी।</p>   | <p>4.6 In view of winding up orders issued by BIFR vide order dated 17.5.2004 and in the absence of any directives from State/Central Government regarding status of land as appearing in the books of accounts, no accounting adjustments in this regard has been considered necessary. Further, it is not known as to what effect will have to be given to matters as stated in 4.1 to 4.5 above.</p>  |
| <p>4.7 डी ओ एफ और एम एच ए (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत 7.2.2004 से 31.3.2007 के समय के सिन्दरी और गोरखपुर में संस्थापित कुछ भवन और जुड़नार, सुरक्षित अभिरक्षण और उनके उपयोग के लिये सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से हस्तांतरण के आशय से सी आर पी एफ और एस एस बी को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। चूँकि सक्षम प्राधिकारी/एवं इस संबंध में कोई अन्य रीति से मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, लेखों में इस संबंध में समायोजन/प्रविष्टि नहीं डाली गयी है।</p> | <p>4.7 At Sindri &amp; Gorakhpur units certain buildings along with equipments, and fittings etc. installed thereon have been handed over to CRPF and SSB under MHA (Ministry of Home Affairs) during the period from 7.2.2004 till 31.3.2008 in terms of MOU dated 5.2.2004 entered between DoF and MHA for safe custody and use by them with an intention to transfer subject to approval of competent authority. Since the approval of competent authority and other modalities thereof have not been determined till date, no adjustment/entry of the same have been passed in these accounts.</p> |
| <p>4.8 बी.आई.एफ.आर. के सुझाव के अनुसार एक व्यवस्था के अंतर्गत तलचर में एच डब्ल्यू पी को एच डब्ल्यू पी के 344 मकानों के बदले में 202 मकान दिये गये हैं। चूँकि इस व्यवस्था पर अंतिम समझौता अनिर्णीत है, अतः समायोजन प्रविष्टि नहीं डाली गयी है।</p>  | <p>4.8 202 quarters at Talcher given to Heavy Water Plant for exchange with 344 quarters received from HWP under an arrangement suggested by BIFR, since, the final settlement of this arrangement is pending, hence no adjustment entry has been carried out.</p>   |

<p><b>5.0 चालू देयताएं एवं प्रावधान</b></p> <p>5.1 सीमा शुल्क प्राधिकरण ने इस आधार पर कि न तो कोरबा परियोजना को क्रियान्वित किया गया और न ही उसके लाइसेन्स का नवीकरण किया गया, रियायती सीमा शुल्क पर आयातित सामान पर 580 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने अपने 26.5.1994 के पत्र संख्या 455/14/94 सीमा शुल्क : V के अन्तर्गत बी.आई. एफ.आर. के निष्कर्ष तक पहुंचने तक वसूली कार्यवाही को लम्बित रखने का निर्णय लिया था। सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में पुनः अपने दिनांक 26.2.2003 के पत्र के अन्तर्गत कम्पनी की सम्पत्ति को अटैच करने का नोटिस दिया है। चूँकि मामला नहीं सुलझा है अतः लेखों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>5.2 31.3.1991 तक भारत सरकार के ऋणों पर जुर्माना ब्याज की 13753.35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>5.3 सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से लिये गये ऋण पर वर्ष के दौरान 207.59 लाख रुपये (2000-01 से संचित 1394.75 लाख रुपये) तथा जीवन बीमा निगम से लिये गये ऋण पर 2000-01 से संचित 10550.03 लाख रुपये के ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>5.4 भारत सरकार ने अपनी ऋण के गारंटीदाता की जिम्मेदारी को निभाते हुये बकाया मूलधन में से 16 करोड़ रुपये अपने पत्र सं. 18021/45/2003/एफसीए-1 दिनांक 27.3.2006 के अन्तर्गत एल आई सी को दिये हैं। भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की गयी राशि को, भारत सरकार से ऋण, में दर्शाया गया है। लंबित अनुदेश के कारण इस पर बकाया ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>5.5 चालू देयताओं में उन 52 कर्मचारियों के स्वेच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 473.61 लाख रुपये शामिल है जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें कार्य की आवश्यकता के कारण 31.3.2008 तक कार्यमुक्त</p>	<p><b>5.0 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b></p> <p>5.1 Customs authorities have demanded additional duty for Rs.580 lakh against goods imported at concessional customs duty on the ground that the Korba Project has not been implemented nor the industrial licence for the project renewed. The Ministry of Finance had decided to keep the recovery proceedings in abeyance till BIFR's findings vide their letter No.455/14/94cus:v dated 26.5.1994. Department of Customs has again issued attachment notice vide letter dated 26.2.2003. Since the matter is not yet resolved, therefore, no provisions for the same has been made in these accounts.</p> <p>5.2 Penal interest up to 31.3.1991 amounting to Rs.13753.35 lakh on Government of India loans has not been provided for.</p> <p>5.3 Interest for the year Rs.207.59 lakh (accumulated since 2000-01 Rs.1394.75 lakh) on loans taken from Central Warehousing Corporation and accumulated since 2000-01 Rs.10550.03 lakh on loan taken from Life Insurance Corporation have not been provided.</p> <p>5.4 GOI as a guarantor to the loan has discharged its obligation by releasing Rs.16.00 Crore (Rupees sixteen crore) to LIC in repayment of the outstanding principal amount of loan vide letter no.18021/45/2003/fca-I dated 27.3.2006 and amount repaid by GOI has been shown under GOI loan. Pending instructions, default, interest on the same has not been provided.</p> <p>5.5 Current liabilities include Rs.473.61 lakh in respect of VSS compensation to 52 employees whose request for VSS has been accepted but have not been relieved by 31.3.2008 due to</p>
---	---

- नहीं किया जा सका। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.3.2008 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- 5.6 5.23 लाख रुपये के विविध लेनदार शामिल हैं जो कि 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी एस एस नहीं अपनाया है और आई डी एक्ट के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि के चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।
- 5.7 चालू वर्ष में 400.53 लाख रुपये ब्याज के (2001-02 से संचित 3278.25 लाख रुपये) तेल भेजने से संबंधित, देरी से भुगतान किये जाने के कारण इण्डियन आयल कार्पोरेशन को देय, का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 5.8 पंजाब नेशनल बैंक सहित दस कन्सोर्टियम बैंकों के साथ बकाया सुरक्षित ऋणों पर एक मुश्त समझौता (ओ.टी.एस) हुआ था जबकि सभी बैंकों ने ओ टी एस राशि की स्वीकारोक्ति भेज दी है, पी एन बी ने ओ टी एस की अपनी स्वीकारोक्ति अभी तक देना है, यद्यपि उनके ओ टी एस का 3.25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान उन्हें कर दिया गया है। जैसा कि ओ टी एस का अनुमोदन कन्सोर्टियम द्वारा सभी सदस्य बैंकों के साथ परामर्श करके किया गया था, पी एन बी को अतिरिक्त देयता के प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गयी।
- 5.9 अल्पअवधि हितलाभ को लेखों में चालू व्यय में लिया गया है। आगामी नियोजन अर्थात् आनुतोषिक एवं अवकाश नगदीकरण के लिये देयता को वास्तविक आधार पर लेखित किया गया है।
- 5.10 बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के आदेश के कारण निगम द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं। अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद VI के अंतर्गत माँगी गई जानकारी नहीं दी गई है।
- exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.3.2008 will be accounted for in the year of release of these employees.
- 5.6 Sundry creditors include Rs. 5.23 lakh in respect of payment by cheques towards gratuity and earned leave etc. not accepted by nine employees who had not opted for VSS and were terminated as per ID Act.
- 5.7 Interest for the year Rs.400.53 lakh (accumulated since 2001-2002 Rs.3278.25 lakh) payable to Indian Oil Corporation for delayed payment towards supply of oil has not been provided.
- 5.8 One time settlement (OTS) of outstanding secured loans was arrived at with consortium comprising of ten banks, including Punjab National Bank (PNB). While all the banks have since communicated their acceptance of OTS, PNB is yet to confirm their acceptance, though their share of OTS amount of Rs.3.25 crore has been paid to them. As OTS was approved by consortium in consultation with all the member banks, no additional liability in this regard towards PNB is considered necessary.
- 5.9 Short term employees benefits is charged off in the accounts as current expenditure. The liability towards post employment i.e. Gratuity and Leave encashment is accounted on actual basis.
- 5.10 In view of winding up order issued by BIFR vide order dated 17.05.2004 and in the absence of any operational activity the Corporation has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprise comes under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, therefore the desired disclosures as required under schedule VI of Companies Act, 1956 are not given.

6.0 पारिश्रमिक	(रु. लाख में)	
	2008	2007
<b>लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :</b>		
लेखा परीक्षा एवं सेवा शुल्क	1.81	1.57
यात्रा एवं विविध व्यय	1.50	3.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क एवं सेवा कर	0.47	0.22

- 7.0 विविध**
- 7.1 निदेशक मंडल की राय है कि सामान्य व्यापार स्थिति में निगम के बन्द होने/निपटान से चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
- 7.2 निगम के बन्द होने के निर्णय के कारण निगम को लागत लेखा रिकार्ड उर्वरक नियम 1993 के अन्तर्गत रखे जाने वाले लागत रिकार्डों को बनाने से मुक्ति मिल गयी है तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है।
- 7.3 पार्टी/कर्मचारी/लेनदारों के अधिशेषों की पुष्टि नहीं हुई है। लेखों पर इनसे पड़ने वाले प्रभावों, यदि कोई हो तो, के बारे में अभी पता नहीं है।
- 7.4 संबंधित प्लान्ट/कार्यालयों के बन्द किये जाने के निर्णय की तिथि तक स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्यहास का प्रावधान किया गया है। चूँकि बंद की तिथि को बुक वैल्यू, वसूली मूल्य से कम है, बंद की तिथि के बाद से और मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.5 इस वर्ष के लिये वस्तुसूचियों तथा परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का कार्य प्रगति में है, केवल तलचर एकक को छोड़ कर जहाँ कि सत्यापन पूरा कर लिया गया है तथा रिपोर्ट इसी कार्य के लिये नियुक्त बाहरी वृत्तिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। सभी रिपोर्ट मिलने के पश्चात पायी गयी विसंगतियों को लेखों में, जहाँ आवश्यक होगा, उचित रूप में लेखित कर

6.0 REMUNERATION	Rs./lakh	
	2008	2007
<b>Auditors' Remuneration</b>		
Audit fees & Service Tax	1.81	1.57
Traveling /out of pocket expenses	1.50	3.00
Tax Audit fee & Service Tax	0.47	0.22

- 7.0 MISCELLANEOUS**
- 7.1 In the opinion of the Board, Current Assets, Loans and Advances have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
- 7.2 In view of decision for closure of the Corporation, exemption for maintaining cost records, "Cost Accounting Records" Fertilizer Rules 1993 has been sought from appropriate authority for which approval is yet to be received.
- 7.3 No confirmation of balances from parties / employees / lenders have been received. The impact, if any, on the accounts is not ascertainable.
- 7.4 Depreciation on fixed assets held for disposal has been provided up to the date of decision for closure of the respective plants/offices. Since book value, as on date of closure is lower than the realizable value, no further depreciation after the date of closure is provided.
- 7.5 Physical verification of Inventory and assets for the year is in progress except Talcher Unit, where the verification has already been completed and report has been submitted by the outside professional firms appointed for this purpose. The accounting treatment wherever necessary of discrepancies noticed will be carried out in due

दिया जायेगा। तलचर एकक के लिये स्टोर्स एवं स्पेयर्स में कमी के लिये अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि 'अप्रचलन और कमियाँ' के लिये एककों के लेखों में पहले ही प्रावधान कर दिया गया है जो कि पायी गयी कमियों की अपेक्षा पहले ही बहुत अधिक का प्रावधान किया गया है।

7.6 केवल दो परिवहन वाहनों को छोड़ कर कम्पनी की परिसम्पत्तियों का वसूली योग्य मूल्य बही मूल्य से अधिक है। फिर भी इन परिवहन वाहनों को भी निपटान की परिसम्पत्ति में सम्मिलित किया गया है। अतः इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 28 के अनुसार कोई विनष्ट हानि नहीं है। फिर भी उच्च न्यायालय के 17.5.2004 के सिफारिश के अनुसार कम्पनी बंद होने की प्रक्रिया में है। अतः विनष्ट हानि, यदि कोई हो तो, अभिनिश्चित नहीं है।

7.7 इस वर्ष किराये की वसूली में 137.70 लाख रुपये वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक मै. ए.सी.सी. लिमिटेड से लाइसेन्स फीस के तथा 0.36 लाख रुपये वर्ष 2005-06 से 2006-07 तक के मै. टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड से लाइसेन्स फीस के प्राप्त हुये हैं।

7.8 वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1 जून, 2007 से अचल सम्पत्ति को किराये में देने पर सेवा कर लगा दिया है। निगम की परिसम्पत्तियों पर सेवा कर लगाने के संबंध में कर परामर्शदाता से अनिर्णीत स्पष्टीकरण कानूनी सलाह के कारण इस देयता का लेखों में प्रावधान कर दिया गया है जो कि लगभग 5.09 लाख रुपये बनता है।

## 8.0 संबंधित पार्टी ब्यौरे

(I) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- 1) श्री दीपक सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एफ.सी.आई.एल., 14.6.2006 से
- 2) सुश्री सोफिया दहिया, निदेशक (वित्त), 21.3.2006 से
- 3) श्री मनोज कुमार गुप्ता, 31.1.2008 से

course after receipt of reports. No additional provision for shortages of stores and spares have been made for Talcher Unit as because, provision for "Obsolescence and Shortages" already provided in the books of Unit is much higher than the detected storage.

7.6 The realizable value of the assets of the company is more than the book value except in case of two transport vehicles. However, these transport vehicles are also included in the assets held for disposal. Therefore, there is no impaired loss as per Accounting Standard 28 of Institute of Chartered Accountant of India. However, as per BIFR recommendations to the High Court dated 17.5.2004, the company is under the process of closure. Therefore, impaired loss, if any, is not ascertained.

7.7 Current year's recovery of rent includes Rs. 137.70 lakhs towards licence fee from M/s. ACC Ltd, for the year from 2002-03 to 2006-07 and Rs. 0.36 lakh towards licence fee received from M/s. Tata Teleservices Ltd, for the year 2005-06 to 2006-07.

7.8 The Finance Act, 2007 livied Service Tax w.e.f. 1st June, 2007 on renting of immovable property services. Pending clarification/legal opinion on levy of service taxes on assets of the Corporation from Tax Consultant, this liability has not been provided in these accounts, which comes to approx. Rs. 5.09 lakhs.

## 8.0 RELATED PARTY DISCLOSURES

### (I) KEY MANAGEMENT PERSONNEL:

- 1) Shri Deepak Singhal, C & MD, FCIL w.e.f. 14.06.2006
- 2) Ms. Sofia Dahiya, Director (Finance) w.e.f. 21.03.2006
- 3) Shri Manoj Kumar Gupta w.e.f. 31.01.2008

- 4) श्री संजय कुमार सिन्हा, 31.1.2008 से  
5) श्री आर.एन. दास, निदेशक, 16.1.2006 से 31.1.2008 तक  
6) डा. श्रीचंद्रा, संयुक्त सलाहकार (उर्वरक), 31.10.2006 से 31.1.2008 तक

**(II) वह संस्थान जिन पर महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं :**

- (क) एफ सी आई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड (फैगमिल)  
(ख) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड (पी.डी.आई.एल.)

**(III) कम्पनी तथा संबंधित पार्टियों के कार्य व्यापार का ब्यौरा तथा 31.3.2008 को बकाया अधिशेष की स्थिति :**

फैगमिल से अग्रिम -	0.33 लाख रुपये
	वर्ष में अधिकतम बकाया
	5.02 लाख रुपये
	(पिछले वर्ष 5.02 लाख रुपये)
पी.डी.आई.एल. से वसूली योग्य किराया	42.55 लाख रुपये
	वर्ष में अधिकतम बकाया
	42.55 लाख रुपये
	(पिछले वर्ष 63.97 लाख रुपये)

**9.0 खण्डीय प्रतिवेदन**

कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

**10.0** कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI भाग II के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

- 4) Shri Sanjay Kumar Sinha w.e.f. 31.01.2008  
5) Shri R.N. Dash, Director w.e.f. 16.01.2006 upto 31.01.2008  
6) Dr. Srichandra, Joint Adviser (Ferts.), w.e.f. 31.10.2006 upto 31.01.08

**(II) ENTERPRISES OVER WHICH KEY MANAGEMENT PERSONNEL ARE ABLE TO EXERCISE SIGNIFICANT INFLUENCE:**

- a) FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited (FAGMIL)  
b) Projects & Developments India Limited (PDIL)

**(III) DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND RELATED PARTIES AND THE STATUS OF OUTSTANDING BALANCES AS ON 31.3.2008.**

Advance from M/s. FAGMIL-	Rs. 0.33 Lakh.
	Maximum outstanding balance during the year
	Rs.5.02 Lakh (previous year Rs.5.02 Lakh).
PDIL Rent recoverable	Rs.42.55 lakh
	Maximum outstanding balance during the year
	Rs.42.55 Lakh (previous year Rs.63.97 Lakh).

**9.0 SEGMENT REPORTING**

In the absence of any operation by the company, there are no separate segments to be reported.

**10.0** Additional information as per the requirements of Schedule VI Part-II of the Companies Act, 1956 is given in the Annexure-A.

- 11.0** जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।
- 11.0** Previous year's figures have been regrouped / recasted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.
- 12.0** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441(ए) के अन्तर्गत देय उपकर शुल्क के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।
- 12.0** No provision for cess duty payable under section 441A of the Companies Act, 1956 has been made, as the necessary notification for the same has not been issued by the Central Government.
- 13.0** सरकार के निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थागित कर को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है के कारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थागित कर परिसम्पत्तियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 13.0** In view of decision by the Government for closure of the Corporation and further in the opinion of the management there being no probability of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, issued by the ICAI.

**मात्रात्मक सूचना**  
**QUANTITATIVE INFORMATION**

वर्ष 2007-2008 के दौरान निर्मित तैयार माल के लिए जैसा कि प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया।  
In respect of goods manufactured during the year 2007-08 as certified by Management

तैयार माल	लाइसेंस क्षमता (मी. टन)	निर्धारित क्षमता (मी. टन)	वास्तविक उत्पादन		
			2007-2008 (मी. टन)	2006-2007 (मी. टन)	
Finished Goods	Licenced Capacity MT.	Installed Capacity M.T.	Actual Production		
			2007-2008 M.T.	2006-2007 M.T.	
<b>1. सिन्दरी</b>	<b>I. Sindri</b>				
(क) यूरिया (एस.एम.पी.)	(a) Urea (SMP)	3,30,000	3,30,000	—	—
(ख) अमोनियम नाइट्रेट	(b) Ammonium Nitrate	9,000	9,000	—	—
(ग) सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट	(c) Sodium Hexameta Phosphate	900	900	—	—
(घ) अमोनियम बाई कार्बोनेट	(d) Ammonium Bi-carbonate	3,000	3,000	—	—
(ङ) अमोनिया	(e) Ammonia	2,97,000	2,97,000	—	—
(च) नाइट्रिक एसिड	(f) Nitric Acid	—	—	—	—
<b>2. गोरखपुर</b>	<b>2. Gorakhpur</b>				
(क) यूरिया	(a) Urea	2,85,000	2,85,000	—	—
(ख) आर्गन (एनएम <sup>3</sup> )	(b) Argon (NM <sup>3</sup> )	2,88,000	2,88,000	—	—
<b>3. रामागुण्डम</b>	<b>3. Ramagundam</b>				
(क) यूरिया	(a) Urea	4,95,000	4,95,000	—	—
(ख) आर्गन (एनएम <sup>3</sup> )	(b) Argon (NM <sup>3</sup> )	9,50,000	9,50,000	—	—
(ग) अमोनिया	(c) Ammonia	2,97,000	2,97,000	—	—
<b>4. तलचर</b>	<b>4. Talcher</b>				
(क) यूरिया	(a) Urea	4,95,000	4,95,000	—	—
(ख) अमोनिया	(b) Ammonia	2,97,000	2,97,000	—	—

अतिरिक्त सूचना  
ADDITIONAL INFORMATION

(रु. लाख में)/(Rs. in Lakh)

		2008	2007								
1. आयातों का मूल्य सी.आई.एफ. आधार पर परिकल्पित (पोत पर्यन्त शुल्क जमा 10%)	Value of imports calculated on CIF basis (calculated at FOB plus 10%)										
उपांश तथा अतिरिक्त पुर्जे	Components and spare parts	—	—								
पूंजीगत वस्तुएं	Capital Goods	—	—								
2. रायल्टी, जानकारी, व्यवसायिक परामर्श शुल्क, ब्याज तथा अन्य पर विदेशी मुद्रा में व्यय	Expenditure in foreign currency on account of royalty, know-how professional consultation fees, interest and other matters.	49.37	—								
3. कच्चा माल का उपभोग, अतिरिक्त पुर्जे तथा उपांश :	Consumption of Raw Material, Spare parts and components:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">मूल्य (अनुमानित) Value (estimated)</th> <th colspan="2">कुल खपत का प्रतिशत %age of total consumption</th> </tr> <tr> <th>2008</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2007</th> </tr> </thead> </table>	मूल्य (अनुमानित) Value (estimated)		कुल खपत का प्रतिशत %age of total consumption		2008	2007	2008	2007	
मूल्य (अनुमानित) Value (estimated)		कुल खपत का प्रतिशत %age of total consumption									
2008	2007	2008	2007								
(i) आयातित कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे तथा उपांश	Imported raw materials, spare parts and components	—	—	—	—						
(ii) स्वदेशी कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे तथा उपांश	Indigeneous raw-materials, spare parts and components	—	—	—	—						
(iii) विदेशी मुद्रा में अर्जन वस्तुओं का निर्यात लागत आधार पर आंका गया चूंकि बीमा नहीं कराया गया तथा भाड़े का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया गया	Earnings in foreign exchange Export of goods calculated on Cost basis as insurance was not done and freight was paid in Indian Currency.	—	—	—	—						

**तुलन-पत्र का सारांश तथा कम्पनी की सामान्य व्यापार रूपरेखा 31 मार्च, 2008 को**

(रु. '000 में)

<b>I. पंजीकरण विवरण</b>			
पंजीकरण संख्या	3439	स्टेट कोड	55
तुलन पत्र तिथि	31.03.2008		
<b>II. वर्ष के दौरान जारी पूंजी</b>			
पब्लिक इश्यू	कोई नहीं	राइट इश्यू	कोई नहीं
बोनस इश्यू	कोई नहीं	प्राइवेट प्लेसमेंट	कोई नहीं
सरकारी अंशदान	कोई नहीं		
<b>III. निधि के संग्रहण एवं फैलाव की स्थिति</b>			
कुल देयताएं	160656348	कुल परिसम्पत्तियां	160656348
<b>निधियों के स्रोत :</b>			
प्रदत्त पूंजी	7509239	आरक्षित एवं अधिशेष	11755
सुरक्षित ऋण	कोई नहीं		
असुरक्षित ऋण	150281355		
<b>निधियों के उपयोग :</b>			
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	2586383	निवेश	5
निवल चालू परिसम्पत्तियां	(-) 1575826	विविध व्यय	कोई नहीं
संचित हानि	156791787		
<b>IV. कम्पनी का निष्पादन</b>			
टर्न ओवर		कुल व्यय	15166587
कर से पूर्व लाभ/हानि	(-) 15048330	कर के बाद लाभ	कोई नहीं
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) मूल	(-) 2.004	डिविडेंड दर	लागू नहीं
द्रवीय	(-) 2.004		
<b>V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों के नाम</b>			
(क) आई.टी.सी. कोड 31021000	यूरिया		
(ख) आई.टी.सी. कोड 31023000	अमोनियम नाइट्रेट		

ह०/-  
(एम. के. गुप्ता)  
निदेशक

ह०/-  
(सोफिया दहिया)  
निदेशक (वित्त)

ह०/-  
(दीपक सिंघल)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह०/-  
(पी. दास)  
महाप्रबंधक

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 26 जून, 2008

ह०/-  
(आई. जे. सोनी)  
भागीदार  
सदस्य सं. 88694



## BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

As at 31st March, 2008

(Rs. in 000's)

<b>I. Registration Details</b>			
Registration No.	3439	State Code	55
Balance Sheet Date	31.03.2008		
<b>Capital raised during the year</b>			
Public Issue	Nil	Right Issue	Nil
Bonus Issue	Nil	Private Issue	Nil
Govt. Contribution	Nil		
<b>Position of Mobilisation and Deployment of Funds</b>			
Total Liabilities	160656348	Total Assets	160656348
<b>Source of Funds</b>			
Paid up capital	7509239	Reserve and Surplus	11755
Secured Loans	Nil		
Un-secured Loans	150281355		
<b>Application of Funds</b>			
Net Fixed Assets	2586383	Investment	5
Net Current Assets	(-) 1575826	Miscellaneous Expenditure	Nil
Accumulated Losses	156791787		
<b>Performance of the Company</b>			
Turnover		Total Expenditure	15166587
Profit/Loss Before Tax	(-) 15048330	Profit After Tax	Nil
Earnings per share (Rs.) Basic	(-) 2.004	Dividend Rate	N.A.
Diluted	(-) 2.004		
<b>Names of Principal Products of the Company</b>			
(a) ITC CODE 31021000		Urea	
(b) ITC CODE 31023000		Ammonium Nitrate	

Sd/-  
(M.K. Gupta)  
Director

Sd/-  
(Sofia Dahiya)  
Director (Finance)

Sd/-  
(Deepak Singhal)  
Chairman & Managing Director

Sd/-  
(P. Das)  
General Manager

As per our report of even date.  
For M/s. H.K. Chaudhry & Company  
Chartered Accountants

Place : New Delhi  
Dated : June 26, 2008

Sd/-  
(I.J. Soni)  
Partner  
Memb. No. 88694

**नकद प्रवाह विवरण**

**CASH FLOW STATEMENT**

(रु. लाख में)/(Rs./lakh)

<p><b>क. परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह</b> कर से पूर्व निवल हानि समायोजन के लिये: मूल्यहास के लिये ब्याज से आय के लिये अप्रचलन और स्थायी परिसम्पत्तियों में कमी के कारण हानि के लिये प्रावधान ब्याज खर्च</p>	<p><b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b> NET LOSS BEFORE TAX ADJUSTMENT FOR: Depreciation Interest Income Provision for Loss due to obsolescence &amp; Shortages on Fixed Assets Interest Expense</p>	<p>(-150483.30)  29.40 (578.77) - 150606.37  <u>150057.00</u> - 426.30  (5.24) (22.93) 0.09 (1586.42)  <u>-1614.50</u> -2040.80</p>
<p>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन हानि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि विविध देनदारों में वृद्धि वस्तुसूचियों में कमी चालू देयताओं में कमी</p>	<p><b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b> Purchase/Sale of Fixed Assets Interest Income</p>	<p>Operating Loss before Working Capital change Increase in Loan &amp; Advances Increase in Sundry Debtors Decrease in Inventories Decrease in Current Liability  <u>578.77</u> - 578.77  <u>578.77</u> -1462.03</p>
<p><b>ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह</b> स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद/विक्री ब्याज से आय</p>	<p><b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> Interest Expense Increase in Interest accrued and due Loan received from Govt. of India (GOI)</p>	<p>Interest Expense Increase in Interest accrued and due Loan received from Govt. of India (GOI)  <u>6.04</u> -1455.99 8418.36 <u>6962.37</u></p>
<p><b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह</b> ब्याज खर्च उपार्जित एवं देय ब्याज में वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त ऋण</p>	<p>Cash and Cash equivalent at beginning Cash and Cash equivalent at the end</p>	<p>8418.36 <u>6962.37</u></p>

ह०/-/Sd/-

(एम. के. गुप्ता)/(M.K. Gupta)  
निदेशक/Director

ह०/-/Sd/-

(सोफिया दहिया)/(Sofia Dahiya)  
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/-/Sd/-

(दीपक सिंघल)/(Deepak Singhal)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/  
Chairman & Managing Director

ह०/-/Sd/-

(पी. दास)/(P. Das)  
महाप्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार/  
As per our report of even date.  
कृते एच. के. चौधरी एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार

For M/s. H.K. Chaudhry & Company  
Chartered Accountants

ह०/-/Sd/-

(आई. जे. सोनी)/(I.J. Soni)  
भागीदार/Partner

स्थान : नई दिल्ली/Place : New Delhi

दिनांक : 26 जून, 2008/Dated : June 26, 2008

सदस्य सं. 88694/Memb. No. 88694